




# नररत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार



: BOOK MADE AVAILABLE FOR DIGITIZATION BY :

VICHARKRANTI PUSTAKALAY  
SURAT, INDIA

: OUR MAIN CENTERS :

Shantikunj, Haridwar,  
Uttaranchal, India – 249411  
Phone no : 91-1334- 260602,  
Website : [www.awgp.org](http://www.awgp.org)  
E-mail : [shantikunj@awgp.org](mailto:shantikunj@awgp.org)

Gayatri Tapobhumi,  
Mathura, U.P., India – 281003  
Phone no : 91-0565-2530128,  
Website : [www.awgp.org](http://www.awgp.org)  
E-mail : [yugnirman@awgp.org](mailto:yugnirman@awgp.org)

: BOOK DIGITIZED BY :

Vicharkranti Pustakalay, Thana-Faliya, Dindoligam, Surat-394210, Gujarat, India  
E-mail: [vicharkranti.awgp@gmail.com](mailto:vicharkranti.awgp@gmail.com) | Website : [www.vicharkrantibooks.org](http://www.vicharkrantibooks.org)



# नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार

लेखक  
पं० श्रीराम शर्मा आचार्य



प्रकाशक :

युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट  
गायत्री तपोभूमि, मथुरा

फोन (०५६५) २५३०१२८, २५३०३९९

मो. ०९९२७०८६२८७, ०९९२७०८६२८९

फैक्स नं०- २५३०२००



पुनरावृत्ति सन् २०११

मूल्य : १०.०० रुपये



**प्रकाशक :**

**युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट**

**गायत्री तपोभूमि, मथुरा-२८१००३**

भारतवर्ष में पिछले हजारों वर्षों में जिस परिवार-प्रथा का विकास हुआ था वह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अद्वितीय कल्याणकारी सिद्ध हुई है। उसके प्रभाव से ऐसे नर रत्नों का आविर्भाव हो सका, जिनको मानवता का सुरभित पुष्प ही कहा जा सकता है। इस प्रथा के ही फलस्वरूप इस स्वर्गादिपि गरीयसी भूमि के सुपुत्र उस उच्चकोटि के चरित्र, नैतिकता और परमार्थ परायणता का परिचय दे सकें, जिससे भारत को जगद्गुरु का महान गौरव प्राप्त हो सका। इस पुस्तक में उसी महान परिवार-प्रथा पर भरपूर प्रकाश डाला गया है, जिससे पाठक उसके कल्याणकारी स्वरूप को भली प्रकार हृदयंगम करके अपना और अन्यो का भी श्रेय साधन कर सकेंगे।

**मुद्रक :**

**युग निर्माण योजना प्रेस,**

**गायत्री तपोभूमि, मथुरा-२८१००३**



# सुसंस्कृत व्यक्तित्वों की निर्माण भूमि परिवार

बगीचे में जिस प्रकार हर तरह के फूल उगाए जा सकते हैं, उसी प्रकार परिवार की बगिया में भी जैसे चाहें अच्छे, बुरे किसी भी तरह के फूल-पौधे लगाए जा सकते हैं। परिवार को यदि ठीक प्रकार से सुगठित और विकसित किया जा सके, उसे आदर्शवादी ढाँचे में ढाला जा सके तो उसी परिधि में समस्त समस्याओं को हल किया जा सकता है। इस दिशा में प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए।

इस संदर्भ में यह मानकर चलना चाहिए कि परिवार एक प्रयोगशाला है। किसी भी क्षेत्र में कौशल को निखारना हो तो उसके लिए अनिवार्य रूप से एक कार्यक्षेत्र चाहिए। वैज्ञानिकों को प्रयोगशाला की, पहलवानों को व्यायामशाला की, डाक्टरों को अस्पतालों की, अध्यापकों को पाठशाला की, शिल्पी को कारखाने की आवश्यकता पड़ती है। कौशल का अभ्यास और निखार इन्हीं कार्यक्षेत्रों में होता है। यदि यह साधन न हों तो एकाकी प्रयत्न से ही अपने पुरुषार्थ को प्रकट एवं विकसित कर सकना किसी के लिए भी संभव न होगा।

साधना—अध्यात्म-साधना, जीवन-साधना का अभ्यास कहाँ किया जाए ? इसके लिए दो स्थानों की आवश्यकता है। एक पूजा कक्ष, दूसरा प्रयोग क्षेत्र। प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से परिवार ही सर्वसुलभ है। व्यायामशाला में जो सीखा है, उसे दंगल में प्रयुक्त करना पड़ता है। स्कूल में जो पढ़ा है वह दफ्तर में व्यवहृत होता है। मेडीकल कॉलेज की पढ़ाई अस्पताल के मरीजों पर क्रियान्वित होती है। इसी प्रकार पूजा-प्रार्थना से अंतरंग और स्वाध्याय सत्संग से बहिरंग सत्प्रेरणाएँ प्राप्त होती हैं। उन्हें कार्यक्रम में परिणत करने और अभ्यास में उतारने की भी आवश्यकता है। अन्यथा व्यावहारिक प्रयोग के अभाव में योगाभ्यास और अध्ययन चिंतन निष्क्रिय पड़ा रहेगा। उस स्थिति



## ४ नर स्त्रियों की खदान सुसंस्कृत परिवार

में उपासना के बीजारोपण को, खाद-पानी न मिलने से उसके सूखने और मुरझाने की ही आशंका बनी रहेगी।

परिवार की प्रयोगशाला में अपने निज के तथा समस्त प्रियजनों के गुण-कर्म-स्वभाव के परिष्कृत करने का अभ्यास क्रम आरंभ किया जाए तो उससे दुहरा लाभ है। भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। भौतिक इस अर्थ में कि कुटुंब परिवार के समस्त परिजनों को अपने व्यक्तित्व को सुविकसित करने के रूप में एक महान उपलब्धि का लाभ मिलता है। यह उपलब्धि इतनी बड़ी है कि उसे कुबेर की संपदा से भी बढ़कर माना जा सकता है। स्तर बढ़ने का अनुदान ऐसा है, जिससे समस्त परिजनों के उज्ज्वल भविष्य का आधार खड़ा होता है। उस परिष्कृत वातावरण में रहने वाले सभी लोग सामान्य परिस्थितियाँ रहने पर भी असामान्य प्रसन्नता अनुभव करते हैं और हँसते-हँसाते प्रगति के उच्च शिखर तक जा पहुँचते हैं।

निर्माण के अनेक स्वरूप हैं। निजी मकान बना लेना, कारखाना खड़ा करना, नगर बसा देना, धर्मशाला, पाठशाला बनाना जैसे कितने ही काम ऐसे हैं, जिन्हें समर्थ और समझदार लोग पूरा करते और प्रसन्न होते देखे गए हैं। साहित्यकार, वैज्ञानिक, कलाकार कई प्रकार की उपलब्धियाँ अपने पीछे छोड़ जाते हैं और मरने के बाद भी उनकी स्मृति जन मानस पर बनी रहती है। इस स्तर की सफलताएँ विलक्षण प्रतिभा और विशिष्ट परिस्थिति पर निर्भर है, इच्छा रहते हुए हर कोई इस स्तर की सफलता पा नहीं सकता। इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और अधिक सरल काम परिवार निर्माण का है, उसे कर गुजरने वाले जिस श्रेय के अधिकारी बनते हैं, उसे अखबारों में भले ही न छापा जाय पर यथार्थता की कसौटी यह कहेगी कि यह प्रयास अप्रतिम रहा।

संत विनोबा की माता ने अपने परिवार की जिस स्तर पर संरचना की उसके फलस्वरूप मानवता को कृतकृत्य होने का अवसर मिला। शिवाजी, नेपोलियन आदि अगणित महामानव माताओं द्वारा बनाए गए हैं। कौशल्या, कुंती, मदालसा, शकुंतला, सीता आदि ने प्रजनन ही नहीं सृजन भी किया था। गुरु गोविंद सिंह जैसे कितने



ही युग पुरुषों की कथा गाथा में उनके परिवार का स्तर भी चार चाँद लगाता है। भगत सिंह को परिवार की परिस्थितियों ने प्रेरणा दी। नेहरू परिवार की अपनी परंपरा है। विश्व इतिहास से लेकर आधुनिक पर्यवेक्षण तक में ऐसे अनेकानेक प्रसंग दृष्टिगोचर होते हैं, जिनमें परिवार निर्माण के लिए प्रयत्नशील व्यक्तियों ने महान सृजन कर्त्ताओं की तरह ही संसार की महती सेवा-साधना संपन्न की है।

परिवार निर्माण एक विशिष्ट स्तर की साधना है। उसमें योगी जैसी प्रज्ञा और तपस्वी जैसी प्रतिभा का परिचय देना पड़ता है। कलाकार अपने आपको साधता है, किंतु परिवार निर्माता को एक समूचे समुदाय के विभिन्न प्रकृति और स्थिति के लोगों का निर्माण करना पड़ता है। यह कार्य सघन आत्मीयता, समग्र दूरदर्शिता एवं समर्थ तत्परता से ही संभव हो सकता है, इसके लिए धरती जैसी सहनशीलता, पर्वत जैसी धैर्य धारण और सूर्य जैसी प्रखरता का समन्वय सँजोना पड़ता है। इन सद्गुणों के अभाव में विपुल-सुविधा साधन जुटाने पर भी परिजन कुसंस्कारी बनते और अभिभावकों को त्रास देते रहते हैं। परिवार निर्माण में निरत व्यक्ति कुटुंबियों की जितनी सेवा करते हैं, उससे कहीं अधिक लाभ आत्म निर्माण के रूप में उठाते हैं। दो लाभ प्रत्यक्ष हैं, तीसरा परोक्ष। सुसंस्कृत परिवारों के अनुदान संसार को, समाज को सुखी समुन्नत बनाने में कितना योगदान देते हैं, इसका लेखा-जोखा यदि रखा जा सके तो प्रतीत होगा कि यह परमार्थ परोपकार का एक उच्चस्तरीय प्रयोजन है।

यहाँ यह बात हजार बार ध्यान रखने की है कि परिवार निर्माण का कार्य नए बच्चे पैदा करना और उनका सुधार निर्माण करने की कल्पना करना, किसी भी प्रकार नहीं है। अपनों और विरानों में कोई अंतर नहीं पड़ता। निर्माण छोटे बच्चों का ही होता है ऐसी बात भी नहीं है। प्राचीनकाल में छोटों के लिए गुरुकुल और बड़ों के लिए आरण्यक बनाए और ऋषि-ऋषिकाओं द्वारा चलाए जाते थे। गाँधी, बुद्ध, टैगोर आदि आश्रम बनाकर रहे थे। यह विशुद्ध रूप से पारिवारिकता का प्रयोग है। संतों की जमातें सैनिकों की छावनियाँ वस्तुतः पारिवारिकता की ही प्रयोगशालाएँ हैं। भले ही अन्यान्य



## ६ नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार

कार्यक्रमों की प्रधानता रहने से उनका मूल स्वरूप धूमिल ही क्यों न हो गया हो। अगले दिनों 'लार्जर फैमिली' का बड़े पैमाने पर प्रयोग होगा। यह संयुक्त परिवार पद्धति का एक सुधरा हुआ रूप है। शांतिकुंज गायत्री नगर में वस्तुतः पारिवारिकता का ही प्रयोग चलता है। मिशन के सामने नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति के कितने ही कार्यक्रम ऐसे हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि विश्व में अनेकानेक ऐसी हलचलों का सूत्रपात होने जा रहा है, जो समय के प्रवाह को उलटकर रख देंगी। इन सबसे महत्त्व का और तथ्यपूर्ण प्रयत्न यह है कि जन-जन की प्रकृति और प्रवृत्ति पर पारिवारिकता छाई रहे। इस एक ही सत्प्रवृत्ति के अंतर्गत उन सभी सद्गुणों और सत्संभावनाओं का समावेश है, जो अंतरंग और बहिरंग क्षेत्र में घुसी हुई संकीर्णताओं और दुष्प्रवृत्तियों से जूझते और पछाड़ने में पूरी तरह समर्थ हो सकती हैं।

पारिवारिकता देखने-सुनने में बाल बच्चों का भरण-पोषण करने जैसी कार्य पद्धति प्रतीत होती है, जिसमें यौनाचार और निवास-निर्वाह की व्यवस्था, सुविधा को कारणभूत समझा जा सकता है यह उसका उथला स्वरूप है। वस्तुतः उसे आत्म संयम और उदार व्यवहार की ऐसी मिली-जुली पद्धति कहना चाहिए जिसमें भाव-संवेदनाओं का ही सर्वोपरि महत्त्व है। अभिभावकों द्वारा संतान का भरण-पोषण, माता का शिशुओं के प्रति वात्सल्य, भाई और बहन के मध्यवर्ती पवित्रता, पितृजनों के प्रति श्रद्धा पत्नी का पति को परमेश्वर मानना, पति का पत्नी को अर्धांगिनी की मान्यता देना, उपार्जन कर्त्ता की उपलब्धियों का सह वितरण जैसी गतिविधियों का स्वार्थपरता के साथ कोई तालमेल नहीं बैठता। यह सारी व्यवस्था पूरी तरह उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं पर आधारित है।

यदि अधिकार को लाभ और स्वार्थ और प्रमुख मानकर सोचा जाए तो इस गठन में असमर्थों को छोड़कर कोई भी सम्मिलित होने को तत्पर न होगा। पत्नी रोटी के टुकड़ों पर जीवन भर की शारीरिक मानसिक गुलामी स्वीकार क्यों करे ? पति अपनी कमाई से स्वयं गुलछरें क्यों न उड़ाए, स्वयं गुलछरें क्यों न उड़ाए, पत्नी को



गले से क्यों बाँधे जबकि यौनाचार अधिक सस्ते में पूरा होता रह सकता है। माता को बच्चा पेट में रखने से लेकर अपना लाल रक्त सफेद दूध के रूप में पिलाने यौवन निचोड़ने जैसे अनेक कष्ट साध्य उत्तरदायित्व ओढ़ने में क्यों प्रसन्नता हो ?

वयस्क लोग वयोवृद्धों की सेवा-सुश्रूषा क्यों करें ? जब अर्थशास्त्र में वयोवृद्ध बैलों को कसाई के हाथ बेच देने के समर्थन में अनेक तर्क और लाभ सुझाए हैं तो उसी आधार पर क्यों न घर के वृद्धजनों को उसी घाट उतार दिया जाए ? भौतिक लाभ हानि की दृष्टि से विचार करने पर असमर्थों को भले ही परिवार से कुछ लाभ दीखता हो, समर्थों को स्पष्टतः हानि है। ऐसी दशा में स्वार्थबुद्धि समर्थों को यही परामर्श दे सकती है कि परिवार बसाने और पालने के झंझट में न पड़कर स्वेच्छाचारी मनमौजी जीवन जीएँ ? कल्पना की जा सकती है कि यदि भौतिकवादी तर्क प्रतिपादनों और स्वार्थपरक आकर्षणों की पद्धति अपना ली जाए तो फिर परिवार बसाना मात्र घाटे का सौदा ही रह जाएगा और उसे अपनाने के लिए कोई समर्थ समझदार कभी तैयार न होगा। ऐसी दशा में मनुष्य जाति का अस्तित्व कितने दिन तक इस धरती पर स्थिर रह सकेगा, यह कहना कठिन है।

पारिवारिकता के पीछे भाव-संवेदनाओं का उभार ही प्रधानतया काम करता है। उसमें उदारता की उदात्त प्रेरणाएँ ही मचलती देखी जा सकती हैं। घाटा, असुविधा, समर्पण का प्रतिपादन उच्चस्तरीय अध्यात्म सिद्धांतों के अतिरिक्त और किसी दर्शन के सहारे नहीं हो सकता। पुण्य-परमार्थ का समर्थन अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के आधार पर संभव नहीं। यह विशुद्ध रूप से अध्यात्म दर्शन का ही अनुदान है। आत्मा की भूख, आत्म संतोष की प्यास-मनुष्य को उत्कृष्टता अपनाने और परमार्थ प्रयोजनों में रस लेने के लिए विवश करती है। यही हैं वे आधार जिन्होंने मानवी चेतना में पारिवारिकता का संचार किया है। उसके साथ ही उन अनेकानेक सत्प्रवृत्तियों के उपहार दिए जिनके कारण मनुष्य को देवता की संतान या ईश्वर का राजकुमार कहा जाता है।



सद्भावनाओं का उत्पादन और संवर्धन करने के लिए जितना उपयोगी और उर्वर क्षेत्र परिवार है, उतना दूसरा और कोई नहीं। सद्भावनाओं का उपयोग देश भक्ति, समाज-सेवा, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, साहित्य, कला आदि किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है किंतु उसका मौलिक उत्पादन वहाँ नहीं हो सकता। संस्कारों में समाविष्ट बहादुरी किसी को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित तो कर सकती है, पर ऐसा कठिन है कि किसी कायर प्रकृति के मनुष्य को छावनी में कैद करके वीर बहादुर बना दिया जाए।

समाज सेवा के अनेक क्षेत्रों में अनेक व्यक्ति ऐसे कामों में संलग्न दिखाई पड़ते हैं, जो निश्चित रूप से लोकोपयोगी होते हैं किंतु गहराई से देखने पर पता चलता है कि उनमें संलग्न व्यक्तियों में से कितने ही गुप-चुप ऐसे अनाचार करते हैं, जिससे लोक कल्याण के आवरण में विनाश और अपव्यय ही पल्ले पड़ता है। होना यह चाहिए था कि लोक सेवा के कार्यों में निरत व्यक्ति उस प्रक्रिया से प्रभावित होते और यदि मूलतः जन सेवी नहीं थे तो भी उस प्रवाह में बहकर समाज सेवा के रंग में रंग जाते, पर जब ऐसा होता नहीं दीखता तो इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि मनुष्य की मौलिक प्रकृति इतनी प्रबल है कि उसका बदलना सामान्य तौर से नहीं किसी विवशता उत्पन्न करने वाले अत्यधिक दबाव से ही संभव है।


यह तथ्य बताते हैं कि मनुष्य की मूल प्रकृति संवेदना प्रधान है और वह शिक्षण एवं वातावरण से यत्किंचित ही प्रभावित होती है। उसका वह ढाँचा सबसे अधिक मजबूत होता है, जो गर्भावस्था से लेकर दस वर्ष की आयु की अवधि में परिवार की परिधि में रहते हुए उपार्जित किया जाता है। अस्तु इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि मानवी व्यक्तित्व में सद्भावनाओं का सत्प्रवृत्तियों का समावेश करना है तो इसके लिए आदर्शवादी कार्यक्रमों में सम्मिलित रहने या रखने से ही काम नहीं चलेगा। यदि ऐसा न रहा होता तो तथाकथित नेतागण जो जन साधारण को आदर्शवादी चिंतन और कर्तृत्व की प्रेरणाएँ देते रहते हैं, अपने निजी जीवन में भी उनका



नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार ६

पालन करते। परामर्श एक प्रकार का, आचरण दूसरे प्रकार का यह सिद्ध करता है कि बुद्धि से वाणी से कुछ भी कहा जा रहा हो, मूल निष्ठा उससे भिन्न है। यह निष्ठा ही असली व्यक्तित्व है और उसके निर्माण में परिवार गत प्रभाव एवं वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती वस्तुतः उसी का प्रभाव चिरस्थायी होता और दूरगामी परिणाम उत्पन्न करता है।

यह प्रभाव पारिवारिकता की भावना से समन्वित आचरण और व्यवहार के माध्यम से ही उत्पन्न किया जा सकता है। भावना या निष्ठा किसी भी प्रकार की क्यों न उत्पन्न करनी हो, उसके लिए पारिवारिकता की भावना ही कारगर हो सकती है। कहा जा सकता है व्यक्तित्व में जिस तरह के भी संस्कार उत्पन्न करने हों, उसके लिए पारिवारिक सद्भावना से ही काम चल सकता है।





## परिवार में उत्कृष्टता का जीवंत आलोक

एकाकी मनुष्य के लिए कुछ भी कर पाना, कुछ भी सीखना और कुछ भी ग्रहण करना असंभव है। मनुष्य जो कुछ भी सीखता या ग्रहण करता है, वह दूसरों के सहयोग से ही संभव है और उसमें भी परिवार के लोगों की ही प्रमुखता है। उस स्थिति की कल्पना की जाए कि मनुष्य को जन्मते ही परिवार से, समाज के संपर्क से अलग कर दिया जाए, एकाकी छोड़ दिया जाए तो उसका कितना और किस दिशा में कैसा क्या विकास होता है ? निश्चित रूप से उसके क्रियाकलाप पशुओं से भिन्न नहीं होंगे। एकाकी व्यक्ति औरों का तो क्या, अपना भी विकास नहीं कर सकता। एकाकीपन से अपना या दूसरों का केवल विनाश ही हो सकता है और एकाकी रहने वाला व्यक्ति भी इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। सृजनात्मक विकास केवल पारिवारिक भावना में, सहयोग समन्वय में, सहकारिता अपनाने में ही संभव है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सहकारिता में उपार्जन की असीम शक्ति और संभावनाएँ विद्यमान हैं। कल-कारखानों से लेकर सैन्य दलों तक में सम्मिलित प्रयासों की चमत्कारी परिणति का परिचय मिलता है। बुहारी से लेकर घड़ी तक के छोटे-छोटे घटक मिलकर एक संयुक्त शक्ति बनते और अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं। परिवार को सहकारिता की शाश्वत संगठित संस्था के रूप में देखा जा सकता है।

सह वितरण सभ्यता का मौलिक सिद्धांत है। 'अपनी रोटी मिल बाँटकर खाओ' यह अर्थ तंत्र के सुसंचालन का मूल मंत्र है। धर्म तंत्र की शिक्षा है कि 'अपनी समर्थता बाँटी और दूसरों पर लदा असमर्थता का बोझ स्वयं बँटाओ।' अध्यात्म की प्रयोग परिणति इसी प्रकार होती है, परिवार में इन प्रतिपादनों को चरितार्थ करने और स्वभाव अभ्यास में उतारने का अवसर मिलता है।



परिवार एक अर्थ में सहकारी संस्था है। इसमें हर व्यक्ति एक-दूसरे को कुछ देता है साथ ही कुछ पाता भी है। अभिभावक बच्चों को पालते हैं। उनके लिए कष्ट उठाते और खर्च करते हैं। सम्मान और अनुशासन तो उन्हें तत्काल मिलता है और बच्चों के बड़े होने पर सेवा सुश्रूषा के रूप में प्रतिदान भी। इस प्रकार के आदान-प्रदान में कोई किसी का ऋणी नहीं होता। पाने वाला जिससे प्राप्त किया गया है, उसका बदला चुका देता है तो उसे पाने के ऋण भार से मुक्ति मिल जाती है। न चुकाने से ऋण भार का दबाव इतना बोझिल रहता है कि उसकी आत्मा ही कुचल जाती है।

पत्नीव्रत और पतिव्रत यों निभा तो एक पक्ष की आदर्शवादिता भी लेती है, पर वह विशिष्टों का कीर्तिमान है। स्वाभाविक और व्यावहारिक यही है कि दोनों एक-दूसरे के समर्पण सहयोग का महत्त्व समझें। अनुग्रह के लिए कृतज्ञ रहें और हर घड़ी बदला चुकाने का अवसर खोजें। यह आदान-प्रदान जहाँ यथावत रहेगा, वहाँ मैत्री निभेगी भी और बढ़ेगी भी, किंतु जहाँ एक पक्ष ने मात्र अधिकार की रट लगाई और कर्तव्य की उपेक्षा की, समझना चाहिए कि खाई बढ़ेगी और प्रीति के स्थान पर विवशता और कटुता ही शेष रह जाएगी। स्वामी और सेवक, व्यापारी और ग्राहक, मित्र और मित्र, गुरु और शिष्य, देवता और भक्त प्रायः इसी आधार पर एक-दूसरे के सेवक सहयोगी बनकर रहते हैं। एक के हाथ खींच लेने पर दूसरे का बढ़ा हुआ हाथ भी निरर्थक ही सिद्ध होगा। समुद्र और बादलों के बीच देने और लौटाने की नीति ही अनादि काल से उन्हें सहयोग सूत्र में बाँधे हुए हैं। धरती पौधों को एक हाथ से खुराक देती है, पर बदले में दूसरे हाथ से खाद और गोबर के रूप में उनसे प्रतिदान वापस प्राप्त करती है। जिस दिन उस आदान-प्रदान में व्यवधान उत्पन्न होगा उस दिन न पौधों की हरितिमा जीवित रहेगी और न धरती की उर्वरता।

परिवार का भावनात्मक महत्त्व जो भी है प्रत्यक्षतः वह एक सहकारी संस्था है, जिसके हर घटक को अधिकार मिलता है। साथ ही यह शर्त भी जुड़ी रहती है कि उसे समयानुसार उसका प्रतिदान



## १२ नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार

भी लौटाना होगा। इस लौटाने में जो जितनी आना-कानी करता है, वह उतना ही निकृष्ट बनता है और जिसे जितनी उतावली रहती है वह उतना ही उत्कृष्ट ठहरता है।

अभिभावक अपने आश्रितों पर इतना ऋण न लादें जिसे वे चुका न सकें और उस बोझ से आत्म प्रताड़ना सहते दिखाई दें। आवश्यक अनुदान कभी किसी को फलते नहीं। अति का भोजन कष्ट कारक होता है और अति का अनुग्रह दुर्गुणों—दुर्भावनाओं के रूप में उभरता है। अकर्मण्यता और अहंकारिता तो इसमें बढ़ती ही है। अस्तु बुद्धिमान अभिभावकों के लिए इतना ही पर्याप्त है कि आश्रितों को स्वावलंबी और सुसंस्कारी भर बनाएँ। उन पर अनावश्यक संपदा का इतना बोझ न लादें, जिसे पाकर वे उपार्जन की चिंता से ही मुक्त हो चलेँ और खाली समय और व्यर्थ संपत्ति को दुर्व्यसनों में गँवाकर अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारें।

परिजनों का भी कर्तव्य है कि संपन्न अभिभावकों से उत्तराधिकार से संपदा की माँग न करें। पारिवारिक निर्वाह का यदि कोई व्यवसाय तंत्र चलता है तो उसे संयुक्त रूप से अक्षुण्ण रखा जा सकता है। असमर्थ आश्रितों को भी निर्वाह साधन संचित-संपदा से पाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त यदि समर्थ व्यक्ति उत्तराधिकार में संपदा की माँग करें तो उसे अनुचित ही ठहराया जाएगा। ऐसा वैभव विशुद्ध रूप से समाज की संपत्ति है। उसे भले ही श्राद्ध के रूप में लौटाया जाए अथवा मृत्यु कर के रूप में। बिना परिश्रम की कमाई और चारों के कानूनी स्वरूप जो भी हों उनकी मूल प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं आता परिवार के हर सदस्य को आरंभ से ही यह अर्थशास्त्र पढ़ाया जाना चाहिए और स्वावलंबन के लिए उनकी मनोभूमि विकसित की जानी चाहिए।

परिवार एक गाय है जिसका दूध पीने के लिए ही सब ललचाते रहें यह अनुचित है। उसके लिए चारा पानी, धूप-छाँव एवं सुविधा सफाई की जिम्मेदारी भी इन दूध पीने वालों को उठानी चाहिए। परिवार समर्थ होगा तो उसकी छाया का, शोभा का, फल संपदा का लाभ भी मिलेगा अन्यथा सूखे, ढूँठ से जगह भी घिरेगी



और अड़चन भी पड़ेगी। तरह-तरह की अपेक्षाएँ रखना और फरमाइशें करना तो अनेकों को आता है, पर इस तथ्य को भुला ही दिया जाता है कि इस संस्थान को परिपुष्ट और परिपक्व बनाने के लिए उससे भी बड़ा योगदान होना चाहिए, जो अब तक पाया गया है और आगे के लिए माँगा जा रहा है। संपन्नता तो एक समर्थ व्यक्ति भी उपार्जित कर सकता है, पर सुसंस्कारिता का वातावरण उत्पन्न करने में हर सदस्य का समुचित योगदान होना चाहिए।

गृहपति कोई भी क्यों न हो अनुशासन किसी का भी चलता हो। इस दृष्टि से हर सदस्य अपने आप में पूर्ण है कि उसे पारस्परिक स्नेह सहयोग बढ़ाने और सत्प्रवृत्तियों को व्यवहार में उतारने की दृष्टि से अग्रणी रहना चाहिए। भूल, उपेक्षा या अवज्ञा करने वाले की नकल करने का विचार ओछा है। बड़प्पन इसमें है कि स्नेह, सहयोग, सौजन्य, सद्भाव की परंपरा का निर्वाह किया जाए और भटके हुआँ को रास्तों पर लाने के लिए अपना प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत किया जाए।

स्वजनों को किसी दिशा में अग्रसर करना हो, उन्हें आदर्शवादी उत्कृष्ट जीवन नीति अपनाने की शिक्षा देनी हो तो उसके लिए सद्भाव संपन्न आत्मीयता पूर्ण परामर्श तो चाहिए ही स्वयं के माध्यम से आदर्श प्रस्तुत कर अनुकरण की उमंग जगाना भी उतना ही आवश्यक है। दोनों के संगम समन्वय से ही परिवार के लोगों का प्रभावी शिक्षण किया जा सकता है। भावना जीवन वृक्ष की जड़ है तो व्यवहार उसके द्वारा खींचा जाने वाला पोषक पदार्थ। दोनों के समन्वय से ही सुसंस्कृत परिवार को उपयुक्त पोषण मिलता है। जमीन में यदि पोषक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में न हों तो जड़ें खुराक कहाँ से खींचे ? इसी प्रकार पोषक तत्वों का जमीन में बाहुल्य होते हुए भी यदि जड़ें सड़ी-गली हों तो पौधों को आहार पाने और बढ़ने का अवसर कैसे मिले ? एकांगी स्थिति अपर्याप्त है। दिन-रात, नर-नारी, ताना-बाना, ऋण-धन मिलकर जिस तरह एक संयुक्त शक्ति बनते और गाड़ी के दो पहियों की तरह गतिशील बनते हैं, ठीक



## १४ : नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार

उसी तरह परिवार में सर्वतोमुखी प्रगति का वातावरण बनाने के लिए भावना और व्यवहार के दोनों ही पक्ष उच्चस्तरीय होने चाहिए।

भावना में आत्मीयता को सघनता होती है। उससे दूसरों को लाभ पहुँचाते समय उल्लास और उनका दुःख बढ़ाते समय संतोष की अनुभूति होती है। परिस्थितियाँ दोनों ही प्रकार की आती हैं। निपटना उनके अनुसार पड़ता है, पर भावनाशील को घाटा कहीं भी नहीं पड़ता। उतार और चढ़ाव में उसे तृप्ति मिलती ही रहती है। कभी खट्टी कभी मीठी। मैत्री का स्थायित्व आत्मीयता पर अवलंबित है। वह दूसरी ओर से समुचित प्रतिक्रिया न होने पर भी एक पक्षीय चलता ही नहीं बढ़ता भी रहता है। मूर्ति पूजा उसका उदाहरण है। प्रतिमा न कोई उत्तर देती है न कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। इतने पर भी भावना उसका आश्रय लेकर अपने बलबूते बढ़ती और परिपुष्ट होती रहती है मीरा के कृष्ण, एकलव्य के द्रोण और रामकृष्ण परमहंस की काली ने जिस समर्थता का परिचय दिया। उसे भक्त की भावना का चमत्कार ही कह सकते हैं, देवता की अनुकंपा नहीं। भावना अपने आप में आत्मा की तरह ही पूर्ण है, पर उसको भी तो व्यवहार का शरीर चाहिए। शरीर के बिना आत्मा का अस्तित्व कैसे प्रकट हो ? व्यवहार का आश्रय पाए बिना भावना की बेल ऊँची कैसे चढ़े ?

परिवार निर्माण में उस आचार संहिता को भी महत्त्व और प्रश्रय देना होगा, जो भावनाओं के अनाचार को रोकती है। रेलगाड़ी की सामर्थ्य कितनी ही बड़ी क्यों न हो, पटरी की मर्यादा में उसे अनुशासित न रखा जाए तो वह कहीं से कहीं बहकेगी और अंततः अपना तथा दूसरों का विनाश करेगी। भावुक अक्सर टग लिए जाते हैं। इसका कारण यह नहीं कि भावना की श्रेष्ठता में कोई संदेह है, वरन् यह है कि व्यवहार और मर्यादाओं का नियंत्रण न रहने से उस दिव्य-संवेदना का दुरुपयोग होता है। धूर्तों को इस कला में प्रवीणता प्राप्त होती है कि वे भावुकता भड़काकर किस प्रकार उस संवेदनशील मनोभूमि का लाभ उठाएँ ? विपत्ति की संभावना बताकर ज्योतिषी और चिकित्सक किस प्रकार उनके स्वजन परिजनों का

आजकल दोहन करते हैं, इसके प्रमाण उदाहरण हर जगह मिल सकते हैं। शिशु वात्सल्य की अतृप्त भावना को पूर्ण करने के लिए पराए बच्चे दत्तक लिए जाते हैं। इस दुर्बलता को वे बच्चे थोड़ी-सी समझ आते ही भाँप लेते हैं और अपने परिपालकों का बुरी तरह शोषण ही नहीं करते त्रास भी देते हैं।

बच्चों के बिगड़ने में जितनी कुसंग की भूमिका होती है, उससे भी अधिक अभिभावकों के अनुचित दुलार की होती है। वे बच्चों की मर्जी पूरी करने में, तरह-तरह की छूट या सुविधा देने में अपने दुलार की सार्थकता मानते हैं। दूसरों का नुकसान करने झगड़ने पर वस्तु स्थिति को समझते हुए भी प्रायः अपने बच्चे का ही पक्ष लेते हैं। उनको भूल के लिए समझाने और उदंडता के लिए धमकाने का प्रयत्न ही नहीं करते फलतः दुर्गुण बढ़ते रहते हैं। यही अभिवृद्धि धीरे-धीरे परिपुष्ट होती रहती है और व्यस्क होते-होते बालकों को कुसंस्कारी बनाकर रख देती है। वे जहाँ भी जाते हैं तिरस्कृत होते हैं। जहाँ भी हाथ डालते हैं असफल रहते हैं। जिससे भी मिलते हैं विग्रह खड़ा करते हैं। इस विडंबना में अभिभावकों का वह अनुचित लाड़-प्यार भी एक बड़ा कारण होता है जो उनके अभिभावकों ने स्नेह की भावुकता के वशीभूत होकर अनावश्यक मात्रा में दिया और यह ध्यान में नहीं रखा कि भविष्य में इस अनौचित्य की प्रतिक्रिया, उनके लिए कितनी दुःखद हो सकती है।

युवक-युवतियों के प्रेम-प्रसंगों में भावुकता की उड़ानें ही आकाश में पतंगों की तरह उड़ती दीखती हैं। संध्या काल की रंगीनी आकाश के पच्छिम भाग में कितनी मनोरम लगती है, पर उसका न तो कोई अस्तित्व होता है और न आधार। ऐसा ही उन्माद इन तंथाकथित प्रेम-प्रसंगों के मूल में रहता है, जिसका न औचित्य समझ में आता है और न यथार्थ। नशे पर नियंत्रण कौन करें ? सपनों की सीमा कैसे बँधे ? प्रेमोन्माद भी लगभग ऐसा ही होता है। बेल मंगरे तो चढ़ती नहीं, चढ़ती है तो एक ही झोंके में लुढ़ककर छितराती और अस्त-व्यस्त दीखती है! इस उभार में



## १६] नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार

बालकों को निर्दित तिरस्कृत बनना पड़ता है। अप्रामाणिकता का कलंक सिर पर बँधता है। उस क्षति की पूर्ति कदाचित ही कभी हो पाती है। इन प्रेमोन्मादी बालकों के परिवारों पर क्या बीतती है और उन्हें कितने प्रकार की कितनी हानि सहनी पड़ती है ? इसका अनुमान लगा सकना यदि उस उन्माद के दिनों संभव रहा होता तो वे अपनों की दृष्टि से इतने न गिरते और इतनी क्षति एवं व्यथा न सहते जितनी कि ऐसे कटु प्रसंगों में अंततः उन्हें सहनी ही पड़ती है। आमतौर से भावुक लड़कियाँ ही इस प्रकार के शोषण का शिकार बनती हैं। धूर्त उन्हें ललचाते और अंततः उन्हें भारी विपत्ति में धकेलकर छोड़ देते हैं।

मैत्री के नाम पर कितना शोषण होता है, इसका अपना एक अलग ही क्षेत्र है। पुराने-जमाने में शत्रु आमना-सामना करते लड़ाई लड़ते और हानि पहुँचाते थे। आज के जमाने का आधुनिकतम आविष्कार यह है कि मित्रता गाँठी जाए, वफादारी का प्रमाण दिया जाए और रंगीन सपने दिखाकर अथवा अपनी कठिनाई जताकर मित्र का शोषण आरंभ कर दिया जाए। दाँव लगते ही उसे चित्त-पट्ट करके रफू चक्कर बना जाए। भावुकता की ऐसी-ऐसी शतरंजें जहाँ-तहाँ बिछी देखी जा सकती हैं। हिरन और साँप को पकड़ने वाले बहेलिये बीन बजाया करते हैं। मछली को आटा और पक्षी को दाना दिखाकर पकड़ा जाता है। मित्रता की नशीली चाट खिलाने और बेहोशी आते ही जेब काट लेने वाले धूर्तों की कहीं कमी नहीं है। यह सब भावुकता के सहारे चलने और पनपने वाले अनाचार हैं, जो अपने दुःखदाई दुष्परिणाम हर क्षेत्र में उत्पन्न करते रहते हैं।

परिवार के क्षेत्र में भावुकता की प्रौढ़ता रहना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी। उसके औचित्य एवं महत्त्व से कोई इनकार नहीं कर सकता। पर देखना यह भी होगा कि कहीं उसका व्यक्तिक्रम तो नहीं हो रहा है। सदाशयता की आड़ में कोई विष वृक्ष तो नहीं पनप रहा है। इस जागरुकता के समर्थन में दूरदर्शी सदा यह कहते रहे हैं कि एक आँख दुलार की और दूसरी सुधार की रखी जाए तभी प्रेम



की सार्थकता है अन्यथा अमृत की भी अनावश्यक मात्रा विष का काम करते देखी जाती है।

पति-पत्नी की द्विधा सत्ता को एकत्व में परिणत कर देने का प्रधान कारण आत्मीयता की सघन भावुकता ही है। यही पतिव्रत और पत्नीव्रत की उच्च सच्चरित्रता के रूप में परिलक्षित होती है। एक-दूसरे के प्रति परिपूर्ण वफादारी का आधार यही है। एक-दूसरे को बहुत कुछ, सब कुछ देने की उमंगें इस संदर्भ में उठती भी हैं और उठनी भी चाहिए किंतु यदि यह उभार औचित्य की मर्यादा लाँघने लगे तो समझना चाहिए कि अर्थ का अनर्थ होने जा रहा है। संपन्न लोग पत्नी को कुछ भी शारीरिक श्रम न करने देने के लिए नौकरों की व्यवस्था करते हैं। श्रृंगार और विनोद के अनेकानेक साधन जुटाते हैं। इसके प्रबंध के पीछे उनका उद्देश्य पत्नी पर असीम स्नेह होने का परिचय देना भर होता है। इस एकांगी चिंतन से अंततः पत्नी की स्वस्थता, समर्थता, प्रखरता और प्रतिभा को बुरी तरह क्षति पहुँचती है और वह अंततः किसी कृषक मजदूर की श्रम जीवी पत्नी से भी अधिक घाटे में रहती है। गुड़िया की तरह रहने में उसने क्या खोया और क्या पाया ?

पति को प्रसन्न रखने के लिए उसे कामुकता की मनमानी छूट देना न तो पति भक्ति है और न भाव समर्पण। जिससे दोनों की शारीरिक और मानसिक क्षति होती है, उसके लिए परिपूर्ण सद्भावना के साथ समझाने-बुझाने से लेकर असहयोग विरोध करने तक का उपक्रम चल सकता है। नशेबाजी, जुआ, यारबाजी, आवारागर्दी जैसे कुटेवों में फँसे हुए पति को उसका मनमर्जी करते रहने देना, रोकथाम न करना, देखने में पति भक्ति स्वामिभक्ति जैसी बात प्रतीत भले ही होती हो, वस्तुतः वैसी है नहीं। प्यार में जहाँ हित कामना, शुभेच्छा, सहकारिता आदि अनेक अनुकूलताओं का समावेश है, वहाँ अनौचित्य को बदलने-सुधारने का तथ्य भी पूरी तरह संयुक्त है।

इसे हटा देने पर जो अंधी भावुकता ही शेष रह जाएगी और उसमें निरंतर ठोकरें लगने का खतरा बना रहेगा।



## १८ : नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार

कितने ही घरों में नव वधुएँ संयुक्त परिवार से पृथक रहने का आग्रह अपने पतियों से इसलिए करती हैं कि उन्हें पति की स्वामिनी बनने और कमाई का पूरा लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। संयुक्त परिवार में तो यह उपलब्धियाँ, प्रत्यक्षतः बँट ही जाती हैं, भले ही बाद में उसके सत्परिणाम अनेक गुने होकर मिलते रहें। भावुकतावश पति भी उनके आग्रह को मानते और पारिवारिक उत्तरदायित्वों से विमुक्त होते देखे गए हैं। मोटी दृष्टि से यह पति-पत्नी का एक-दूसरे से साम्य दूध पानी हो जाने जैसा हुआ, किंतु दूरदर्शिता के आधार पर देखा जाए तो उस आग्रह और स्वीकृति के पीछे अनीति ही काम करती दिखाई पड़ेगी। जिस परिवार ने अपनी समृद्धि और सद्भावना का एक बड़ा अंश लड़के की शिक्षा-दीक्षा पर, कमाऊ बनाने की स्थिति तक पहुँचाने पर लगाया है। उसे प्रतिफल के समय ऐसी बेरुखी का सामना करना पड़े तो उसे दुर्भाग्य पूर्ण ही कहा जाएगा। इससे सारे परिवार का अर्थ संतुलन एवं भविष्य बिगड़ता है। दांपत्य प्रेम का परिचय देने की भावुकता और समूचे परिवार की सुव्यवस्था दोनों में से क्या चुनना चाहिए, इसका निर्णय करने में यदि पत्नी का आग्रह अस्वीकार करना पड़े तो भी विवेक की कसौटी यह नहीं कहेगी कि दांपत्य प्रेम के साथ जुड़े हुए कर्तव्य की अवहेलना की।

छोटों का अधिक काम करना, बड़ों को अधिक आराम देना सहज शिष्टाचार है। छोटों का कर्तव्य है कि वे बड़ों से ऐसा कहें भी और उसके लिए प्रयत्न भी करें, किंतु यह शिष्टाचार पूर्णतया व्यवहार ही बन जाए यह आवश्यक नहीं। बड़े कुछ भी न करें तो उनका शरीर और मन अपनी गतिशीलता निरंतर खोता चला जाएगा। और वे कुछ दिनों में ही कूड़ा कर्कट जैसे निरर्थक बन जाएँगे। इस बेकारी में अपना समय तो गँवाएँगे ही किसी और साथी को तलाशकर, उसे भी गप्पबाजी या ताश, शतरंज जैसे चंगुल में फँसा देंगे। बड़ों को आराम देने का अर्थ उन्हें आलसी और दुर्व्यसनी बना देना हो तो उससे कहीं अच्छा यह है कि उन्हें व्यवस्था, शिक्षा एवं लोक सेवा जैसे किसी उपयोगी काम में जुटाए रखने का ताना-बाना



बुना जाए। देखने में यह बड़ों के प्रति अनुदारता बरतने जैसा प्रतीत होगा किंतु दूरदर्शिता यही कहेगी कि सद्भावना और सुव्यवस्था का समावेश हर दृष्टि से उचित था।

मोहवश बच्चों को दूर पढ़ने भेजने में अभिभावकों विशेषतया माताओं को कतराते देखा गया है। बच्चा प्यारा है इसलिए उसे आँखों के सामने रहना चाहिए। यह भावुकता का तकाजा है विवेक का नहीं। प्राचीन काल में बालकों को सुदूर गुरुकुलों में पढ़ने के लिए खुशी से भेज दिया जाता था। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके अभिभावक प्यार नहीं करते थे। इसका अर्थ इतना है कि हित-चिंतन को प्रथम और मोह, ममता को द्वितीय स्थान दिया जाता था। उसमें बालकों को भी अभिभावकों की ही तरह बिछोह कष्टकर होता होगा, पर अंततः भावुकता ही तो सब कुछ नहीं है। यदि औचित्य और कर्तव्य की उपेक्षा की जाने लगे तो फिर सेना में भर्ती होने के लिए न तो कोई व्यक्ति स्वयं ही तैयार होगा और न उसके घर वाले ही ऐसे जोखिम भरे दुस्साहस के लिए सहमति देंगे। यदि ऐसे ही प्रचलन चल पड़े तो फिर वानप्रस्थ परंपरा का अंत ही हुआ समझना चाहिए। परिवार छूटने छोड़ने की असुविधा सर्वविदित है। मोह की प्रधानता रहते ऐसी व्यवस्था बन ही नहीं पड़ेगी। ऐसी दशा में व्यक्ति और समाज को ऐसी क्षति उठानी पड़ेगी, जिसकी पूर्ति और किसी प्रकार हो ही नहीं सकती। जन्म से लेकर मरण पर्यंत परिवारी लोगों के साथ ही रहना, उन्हीं के लिए मरना खपना, यह दिखाता है कि परिवार प्रेम की सघनता थी, फिर भी उस भावुकता के पीछे विवेक व्यवहार का समावेश न रहने से सराहना नहीं भर्त्सना ही होगी।

जो कमाया जाए उसका उत्तराधिकार संतान को ही मिले यह प्रचलन हर दृष्टि से निंदनीय है। इससे संतान की मुफ्तखोरी की लानत उठानी पड़ती है और संचय कर्ताओं को मोह ग्रस्त कहा जाएगा। औचित्य इतना ही है कि अभिभावक अपनी संतान को समर्थ सुसंस्कृत बनाने के साथ अपने कर्तव्य को इति श्री समझें और संतान भी अपने पूर्वजों से इससे अधिक की आशा न करें।



## २० नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार

असमर्थ आश्रितों को ही पूर्वजों की कमाई पर गुजारा करने का अधिकार रहना चाहिए, पर जो अपने बाहुबल से कमाने में समर्थ हैं उन्हें स्वावलंबनपूर्वक निर्वाह क्यों नहीं करना चाहिए ? बिना परिश्रम की कमाई चाहें वह चोरी से हो, लाटरी से हो या उत्तराधिकार में अथवा किसी दूसरे रास्ते से मिली हो तथ्यतः अनैतिक है। जो कमाए सो खाए, यही सिद्धांत सही है। इसमें इतना ही परिशिष्ट जोड़ा जा सकता है कि असमर्थ आश्रित अपने पूर्ववर्ती की संपदा से निर्वाह प्राप्त करें। समर्थों को मिला उत्तराधिकार उनके लिए मुफ्त का माल होने से बेरहमी के साथ खर्च होता है। दूसरे ऐसे धन पर स्वभावतः लोक मंगल का जो अधिकार है, उससे उस क्षेत्र को वंचित रहना पड़ेगा और असंख्यों सत्प्रवृत्तियों को जो उस पोषण के सहारे पनपने का लाभ मिल सकता था, उससे उन्हें वंचित रहना पड़ेगा।

मोह ग्रस्त अभिभावक, भावुकता वश अपनी संचित कमाई का उत्तराधिकार अपने वंशजों के लिए छोड़ते हैं तो प्रचलन के अनुसार उसे स्वाभाविक ही कहा जाएगा, किंतु जहाँ तक विवेक एवं औचित्य का प्रश्न है, इस हस्तांतरण का कोई औचित्य नहीं है। कृषि उद्योग आदि के तंत्र पीड़ी दर पीड़ी चलते रहे और उनके सहारे परिवार को काम मिलता रहे, यह व्यवस्था अलग है इसका समर्थन भी हो सकता है, किंतु जहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बाप की कमाई बेटों को बटनी भर है वहाँ निश्चित रूप से भावुकता का अनुचित उपयोग ही है। इसमें देने वाले और लेने वाले दोनों पर ही अनौचित्य का, भावुकता के दुरुपयोग का कलंक लगता है। ऐसा धन विशुद्ध रूप से सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होना चाहिए भले ही, उसे मृत्यु टैक्स के रूप में सरकार वसूल करे अथवा प्राचीन काल की श्राद्ध व्यवस्था के अनुसार उसे स्वेच्छापूर्वक धर्म प्रयोजनों के लिए वितरित किया जाए।

इन दिनों भी परिवारों में भावना का अस्तित्व किसी न किसी रूप में विद्यमान है। यह बात अलग है कि वे घटती जा रही हैं और घटने का एकमात्र कारण उनके साथ विवेक का समन्वय न होना है। आवश्यकता इस बात की है कि भावनाओं में विवेक का



नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार २१

समन्वय किया जाए और परिवारों में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए कि उसमें रहने वाले प्रत्येक सदस्य को उत्कृष्ट आदर्शवादिता की दिशा में बढ़ने की प्रखर प्रेरणा मिल सके, अनीति अवांछनीयता किसी भी स्वजन के मन में न उठने पाए और उठे भी तो परिवार के वातावरण में वह जल-भुनकर नष्ट हो जाए। भावना और व्यवहार में इस प्रकार विवेक का समन्वय बना रहे तो सच्चे अर्थों में परिवार का उद्देश्य पूरा हो सकेगा और इन दिनों भी शिवाजी गाँधी, विवेक जैसे महान व्यक्तित्व परिवार की भूमि में उत्पन्न हो सकते हैं।





## महिला जागरण बनाम परिवार निर्माण

व्यक्तित्वों के निर्माण में परिवार के आधारभूत महत्त्व से इनकार नहीं किया जा सकता। समाज निर्माण और लोक सेवा के क्षेत्र में जिन्हें कुछ ठोस कार्य करने की उत्कंठा हो, उन्हें चाहिए कि वे परिवार निर्माण के इस महत्त्व पूर्ण कार्य में लगे। राष्ट्र को, समाज को, विश्व को सुसंस्कृत और समुन्नत स्तर के नागरिकों से भरा-पूरा बनाना ही सच्चे अर्थों में विश्व मानव की सेवा है। इसके बिना प्रगति के अन्य समस्त आधार निरर्थक ही सिद्ध होंगे। वैभव कितना ही विपुल क्यों न हो, यदि उनका सदुपयोग करने की शालीनता न हो तो बंदर के हाथ तलवार पड़ने की तरह वह उल्टा आहत ही करेगा। इसके विपरीत उच्चस्तरीय प्रतिभाएँ स्वल्प साधनों में भी, सामान्य परिस्थितियों में भी प्रगति एवं सुख-शांति की दिशा में उल्लेखनीय कीर्तिमान खड़े कर लेती हैं। प्रगति और विकास के नियमों का अध्ययन किया जाए, जिन लोगों ने उन्नति की है उनकी जीवन गाथा पढ़ी जाए तो यही तथ्य उभरकर सामने आता है कि वास्तविक प्रगति व्यक्तित्व का स्तर ऊपर उठाने से ही होती है, सुविधा-साधनों के बढ़ाने से नहीं, न ही इसके लिए परिस्थितियों पर निर्भर रहना पड़ता है।

जो इस तथ्य को समझते हैं वे ही यह भी जानते हैं कि इस महान निर्माण में परिवार संस्था का जितना योगदान हो सकता है, उतना और किसी का नहीं। व्यक्ति को ढालने की अवधि का अधिकांश दस वर्ष की आयु तक पहुँचते-पहुँचते पूरा हो चुका होता है। इसके बाद तो स्कूली पढ़ाई और अनुभव संपर्क आदि के सहारे दूसरी साज-सज्जा होती रहती है। दस वर्ष की आयु तक बालकों को घर की परिधि में ही रहना पड़ता है। जिन व्यक्तियों के बीच बालक का अधिकांश समय कटता है, वे नर नहीं नारी वर्ग के ही होते हैं।

बच्चा नकल करता है। विचारों की भी परंपराओं की भी और विचारणाओं की भी। इस प्रकार महिलाएँ न केवल मनुष्य जाति को जन्म देती हैं, वरन् उनके व्यक्तित्व निर्माण में ही वही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए सुसंस्कृत व्यक्तित्वों के निर्माण द्वारा परिवार को नर रत्नों की खान बनाने और समाज में अभिनव सुखद परिस्थितियाँ विनिर्मित करने की दृष्टि से महिलाओं का जितना योगदान हो सकता है उतना और किसी का नहीं।

इन दिनों तो नारियाँ, महिलाएँ बुरी तरह पिछड़ी हैं। क्या आधुनिक और प्रगतिशील कहे जाने वाली महिलाएँ और क्या पुरानी रुढ़ियों से चिपटी हुई परंपराओं से जकड़ी हुई स्त्रियाँ सभी पर पिछड़ेपन का अंधकार छाया हुआ है। पिछड़ापन इस दृष्टि से है, न उन्हें अपने स्वरूप का बोध है और नहीं महत्त्व का ज्ञान। प्रगतिशील नारी को सोने की, पिछड़ी नारी को लोहे की जंजीरों से दुर्भाग्य ने चिरकाल से जकड़ रखा है और वे बंधन एक वस्त्र बदलने दूसरा पहनने ऐसे ही आँख-मिचौनी खेलते हैं। हटने का नाम नहीं लेते। प्रगतिशीलता ने विलास की और पराधीनता ने उत्पीड़न की नीति अपनाई है। फलतः नारी के सामने अंधकार ज्यों का त्यों है। इस दुर्गति से समस्त मानव समाज को असीम क्षति सहन करनी पड़ रही है। पिछड़ी नारी दूसरों की सहायता मजदूरनी एवं रमणी के रूप में नगण्य-सी मात्रा में ही कर पाती है। बदले में उसका, उसके प्रजनन का आर्थिक तथा सुरक्षापरक भार इतना होता है, जिससे उसकी उपस्थिति अनिवार्य होते हुए भी उपयोगिता तनिक-सी रह जाती है। दहेज की वेदी पर चीत्कार करती हुई तनिक से कारणों से परित्यक्ता का जीवन बिताने वाली निरंतर अपमान और उत्पीड़न सहने को विवश प्रगति की परिस्थितियों से वंचित नारियाँ ही सर्वत्र पाई जाती हैं। सुसंस्कृत और समुन्नत कही जाने योग्य महिलाओं को तलाश करने पर निराशा ही हाथ लगेगी। स्पष्ट है कि पिछड़ा-पददलित और असमर्थ व्यक्ति किसी प्रकार अपनी लाश ही ढो सकता है। दूसरों की कोई कारगर सहायता नहीं कर सकता। आज की नारी अपने लिए, संतान के लिए, परिवार के लिए, समाज



## २४ : नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार

के लिए यहाँ तक कि पालन कर्त्ताओं के लिए भी बहुत कुछ उपयोगी बनकर नहीं रह पा रही है। इस स्थिति में हर दृष्टि से हानि ही हानि है। आधी जनसंख्या को दुर्गति से मुक्ति दिलाना इतना बड़ा काम है, जिसे अब तक की समस्त राजनैतिक एवं सामाजिक क्रांतियों की तुलना में अधिक भारी और अधिक महत्त्वपूर्ण ही माना जाएगा। आधी जनसंख्या और आधी दुनियाँ को समान रूप से प्रभावित करने वाली समस्या और कोई नहीं। प्रजनन के कारण उत्पन्न शारीरिक दुर्बलता और आर्थिक अक्षमता का लाभ समर्थ पक्ष ने भरपूर उठाया है। उसे यह स्वाभाविक प्रतीत होता है और अधिकार जैसा लगता है। इस मान्यता को उलटना और सहयोगी की मान्यता हृदयंगम करना बड़ी बात है। उससे भी कठिन वह पुनर्निर्माण है, जिसके आधार पर पिछड़ेपन को प्रगतिशीलता तक पहुँचाने के लिए अनेकानेक रचनात्मक कार्यों को हाथ में लेने, फैलाने, परिपुष्ट करने और सफलता तक पहुँचाने की सुविस्तृत योजना कार्यान्वित की जानी है।

कहने-सुनने में लिखने-पढ़ने में यह बातें सरल प्रतीत हो सकती हैं वस्तुतः उनका बहुमुखी क्रियान्वयन इतना कठिन है कि गोवर्धन उठाने और समुद्र सेतु बाँधने की गाथाओं से उसे हल्का नहीं भारी ही कहा जाएगा और अपने सामने यह युग चुनौती है। सृजन शिल्पियों को इस प्रयास को इसलिए भी अपने हाथ में लेना होगा कि सर्व साधारण के लिए इसका महत्त्व तक समझना कठिन है। विग्रह खड़ा न हो तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता भले ही गुत्थी कितनी ही उलझी हुई क्यों न हो, आज सबका ध्यान कूटनीतिक उथल-पुथलों और अर्थ-साधनों तक सीमाबद्ध होकर रह गया है। जब नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति तक के लिए उत्साह उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो महिला जाग्रति का कार्य कोई क्यों हाथ में लेगा ? यों फैशन के नाम पर तो सरकारी महकमे और सुधार संस्थाओं के चोंचले भी आए दिन कुछ न कुछ उछल-कूद करते दिखाई पड़ते हैं। पर इस ओस चाटने से समय की प्यास कहाँ बुझने वाली है ? उसके लिए तो ठोस बड़े और संगठित प्रयास होंगे।



अपने निजी शरीर एवं घर तक सीमित रहने वाली बातों को निजी प्रयास से संपन्न किया जा सकता है, किंतु जिन समस्याओं का संबंध सुविस्तृत जन समुदाय से, समस्त मानव समाज से है, उन्हें संगठित रूप में ही किया जा सकता है। यों शरीर और परिवार की साज-सँभाल में भी संबद्ध व्यक्तियों की अनुकूलता और सहायता की आवश्यकता पड़ती है। फिर जिस अभियान को अधिकाधिक विस्तृत बनाया जाना है, उसके लिए संगठित प्रयत्नों के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं।

थोड़ा-सा काम छोटे क्षेत्र में करना हो तो व्यक्तिगत प्रयास एवं सामान्य स्तर के संस्थान संगठन में काम चल सकता है, किंतु उसे व्यापक ही बनाना हो तो सर्वप्रथम समर्थ संगठन तंत्र खड़ा करना ही होता है। सामूहिक प्रयत्नों से ही बड़े काम संपन्न होते हैं। सैनिकों की छावनियाँ, श्रमिकों के सहयोग से चलने वाली फैक्ट्रियाँ, साधुओं की जमातें, संस्थाओं के संगठन यही बताते हैं कि व्यापक प्रयोजनों के लिए न तो एकाकी प्रयत्नों से काम चलता है और न छोटे संस्थान काम देते हैं। विशाल कार्यों के लिए विशाल साधन भी चाहिए। शासन तंत्र को एक देश की सुरक्षा एवं प्रगति की भौतिक जिम्मेदारी भर सँभालनी पड़ती है। इसके लिए वरिष्ठ व्यक्तियों और विशिष्ट साधनों का सुविस्तृत सरंजाम जुटाना पड़ता है। धर्म तंत्र आज गई-गुजरी और अस्त-व्यस्त स्थिति में पड़ा है तो भी उसमें कितनी बड़ी जन-शक्ति कितनी साधन शक्ति सुनियोजित है, उसे आँख पसारकर देखा जा सकता है। संगठित प्रयासों से ही ऊँचा और बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सुसंस्कृत व्यक्तियों के निर्माण में परिवार के माध्यम से व्यक्ति और समाज निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महिला जागरण प्रथम कार्य है। इसके लिए महिला शालाओं का संगठन कई वर्ष पूर्व हुआ था। इसी के लिए जाग्रति अभियान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया और एकवर्षीय कन्या प्रशिक्षण सत्र के लिए विद्यालय की व्यवस्था बनाई गई थी। देव कन्याओं को दौरे पर भेजकर महिला जाग्रति का शंख बजाया गया और महिला सम्मेलनों की धूम मचाई गई। महिला प्रशिक्षण के सत्र भी चले और छोटा



## २६] नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार

महिला साहित्य भी छपा। यह पिछले दिनों की रिपोर्ट है जिसे अनेकानेक व्यस्तताओं और असुविधाओं के बीच यथासंभव प्रयास करके संपन्न किया गया। शुभारंभ की दृष्टि से इतने को भी संतोष की साँस लेने जितना माना जा सकता है, किंतु श्री गणेश तो श्री गणेश है। ध्यान केंद्रित करने, दिशा निश्चित करने, साधन जुटाने और उत्साह बढ़ाने की दृष्टि से श्री गणेश का भी अपना महत्त्व है पर काम तो उतने से नहीं चल सकता। भूमि पूजन और शिलान्यास का हर्षोत्सव कितने ही उत्साह और समारोह के साथ क्यों न मनाया गया हो। भवन निर्माण का कार्य तो कुशल शिल्पियों, उपयुक्त साधनों के श्रम सहयोग जुटाने से ही संभव है। महिला जागरण के संबंध में भी यही बात है। वह बड़ा काम है और उसके लिए बड़ी योजना बनने, बड़ी तैयारी होने और बड़े साधन जुटाने से ही काम चलेगा।

महिला जागरण का कार्य प्रतिभा संपन्न नारी समुदाय द्वारा स्वयं समुन्नत बनने और अपने वर्ग को ऊँचा उठाने के लिए सृजनात्मक प्रयत्न करने की व्यवस्था बनाकर आरंभ तो किया जा सकता है, पर उसे इतने भर तक सीमित नहीं रखा जा सकता। 'महिला' शब्द का साहित्यिक अर्थ जो भी होता हो, अपना तात्पर्य उसका प्रयोग करने में ऐसे समर्थ नेतृत्व से है, जो समूची परिवार संस्था को नए सिरे से, उच्च स्तरीय आधार पर अभिनव सृजन की भूमिका निभा सके। कार्य क्षेत्र घर की सीमा में हो गाँव, मुहल्ले में हो अथवा व्यापक परिधि में फैला हो, वह परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है, किंतु लक्ष्य सर्वत्र एक ही रहता है, परिवार में स्वर्गीय परिस्थितियों का सृजन। वस्तुतः यही बड़े रूप में धरती पर स्वर्ग का वह अवतरण है, जिसके लिए युग निर्माण योजना की समस्त गतिविधियाँ केंद्रीभूत हो रही हैं।

मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का लक्ष्य लेकर चल रहे अभियान को, प्रस्तुत मिशन और कार्यक्रम को देखते हुए महिला जागरण शब्द भी अपूर्ण एवं एकांगी है। इसका सही नाम परिवार निर्माण है। महिला जागरण तो उसकी पहली सीढ़ी है। शिक्षण-संस्थानों में छात्रों को सही ढंग से पढ़ाया जा सके, इसके लिए अध्यापकों का सुयोग्य और प्रशिक्षित होना आवश्यक है, उसी



प्रकार परिवार निर्माण का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, इस संस्था की कर्णधार महिलाओं का भी सुयोग्य होना आवश्यक है। इसका मतलब यह नहीं है कि परिवार निर्माण केवल महिलाओं का ही विषय है। उसमें परिवार से संबंधित प्रत्येक समझदार सदस्य की अपनी भूमिका और अपना दायित्व है। महिलाओं को प्रधानता इसलिए दी जा रही है कि उस अभियान का नेतृत्व जाग्रत महिला ही कर सकती है, इसलिए प्रमुखता तो सेना के कप्तानों की तरह उन्हें ही मिलेगी। किंतु 'कप्तानों' का वर्ग है सुसज्जित सेना नहीं है। सैन्य दल का विस्तार और सुरक्षा का लक्ष्य अधिक व्यापक है। कप्तानों का भी उसमें योगदान तो है, पर उन्हीं लोगों की शिक्षा, सुविधा एवं समर्थता होने पर भी सुरक्षा के लिए और भी बहुत कुछ करना शेष रह जाता है। इसी प्रकार आधी जनसंख्या के वरिष्ठ वर्ग नारी समुदाय के उत्कर्ष को प्रमुखता देते हुए भी ध्यान यही रखना होगा कि लक्ष्य परिवार निर्माण है। और 'परिवार संस्था' के अंतर्गत प्रायः समस्त मानव समाज का समावेश हो जाता है। बाल-वृद्ध, नर-नारी, समर्थ-असमर्थ सभी परिवार में प्रश्रय प्राप्त करते हैं। शासन तंत्र की परिधि में समस्त जन समुदाय आ जाता है। धर्म तंत्र की पकड़ से भी कदाचित ही कुछ लोग बचे हों, उसी प्रकार समाज तंत्र के समर्थ घटक 'परिवार' भी अपने अंचल में समस्त जन-समुदाय को समेटे हुए हैं। परिवार ही शिशुओं के जन्मने, पोषण पाने और व्यक्तित्व का तीन चौथाई ढाँचा खड़ा करने का समर्थ विद्यालय है।

परिवार ही समर्थों के निर्वाह, विश्राम और शक्ति संचय एवं आनंद उल्लास का मूर्तिमान कल्पवृक्ष है। परिवार असमर्थों का अनाथालय, विश्राम गृह और चिकित्सालय है। परिवार एक छोटा समाज तंत्र एवं सहकारी संगठन है। व्यक्तित्व के विकास में काम आने वाले सभी आवश्यक सद्गुण इसी में रहकर सीखे जाते हैं इसलिए उस माँस के लोथड़ों को 'मनुष्य' के रूप में ढालने वाला कारखाना भी कह सकते हैं।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज तो आकाश की तरह विस्तृत है। उसका व्यावहारिक कलेवर परिवार है। परिवार ही वह समाज है



## २८ नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार

जिसे व्यावहारिक समाज कह सकते हैं। 'समाजवाद' यदि शासन या अर्थ व्यवस्था तक सीमित रखना हो तो बात दूसरी है अन्यथा 'परिवारवाद' को ही वास्तविक समाजवाद मानना पड़ेगा। मानवी विशिष्टता का चरम विकास 'वसुधैव कुटुंबकम्' में है। समाजगत श्रेष्ठता की चरम परिणति जन समुदाय को परिवार जैसी भावना और व्यवस्था में बाँध लेना है। सतयुग, रामराज्य, धर्म राज्य, देव युग की जो चर्चाएँ होती रहती हैं, उसे प्राप्त करने में निश्चय ही उस समय के मनुष्यों को 'विश्व परिवार' का सिद्धांत, कल्पना और मान्यता से आगे बढ़ाकर व्यवहार में समाविष्ट करने की सफलता मिल गई होगी।

उज्ज्वल भविष्य की संरचना का ठोस आधार परिवार संगठन के परिष्कृत और सुव्यवस्थित होने पर ही निर्भर है। इसीलिए महिलाओं को जाग्रत किया जा रहा है। परिवार साध्य और महिला साधन है। इस संदर्भ में यह भी ध्यान रखकर चलना चाहिए कि परिवार शब्द से आशय क्या है ? परिवार का अर्थ मात्र दांपत्य जीवन तक ही सीमित नहीं है। दांपत्य जीवन तो नए परिवार की शुरुआत भर है। परिवार वस्तुतः एक दर्शन है, जिसे अपनाए बिना अन्य प्राणियों का काम तो चल जाता है, किंतु मनुष्य की इसके बिना कोई गति नहीं है। परिवार का अर्थ दांपत्य जीवन नहीं है, वह तो नए परिवार की शुरुआत है। सृजन और परिष्कार के लिए यह आवश्यक नहीं कि विवाह करके नया परिवार ही बनाया जाए और सृजन प्रयास वहीं से आरंभ किया जाए। हर मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है। इसके बिना किसी की गुजर नहीं। छोटे बालक अविवाहित होते हैं तो भी वे परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उस क्षेत्र में आदान-प्रदान से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुमारियाँ, विधवाएँ, परित्यक्ताएँ, कुमार, विधुर और विरक्त व्यक्ति भी किसी न किसी परिवार की छाया में रहकर ही सामान्य निर्वाह की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। साधु-जमातों में, मठों में रहते हैं। बीमार अस्पतालों में और सैनिक छावनियों में। ऐसा निर्वाह संस्थान जिसमें एक-दूसरे के साथ किसी न किसी प्रकार कर्तव्य, उत्तरदायित्व



अधिकार एवं सुविधाओं के सूत्र में बँधे हुए हैं परिवार कहे जा सकते हैं। गायत्री परिवार या महिला परिवार एक स्थान पर नहीं रहता तो भी आदान-प्रदान के अति महत्वपूर्ण सूत्रों से बँधे होने एवं कई प्रयोजनों में परस्पर गुँथे रहने के कारण वह भी परिवार कहे जाने की परिधि में आ गया। हमें परिवार निर्माण इसी व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। अंश-वंश के कुछ लोगों का एक घर में रहना छोटा परिवार है और समाज तथा विश्व बड़ा।

लक्ष्य विश्व मानव का, वसुधैव कुटुंबकम् का पुर्निर्माण करना ही है और उसी का आरंभ अपने परिवार से, घर से जिसमें स्वजन संबंधी और संपर्क क्षेत्र के व्यक्ति आ जाते हैं, उसी से करना है। इस अभियान में निर्माण साधना में, महिलाएँ प्रमुख भूमिका निभाएँ सो ठीक है, पर सब कुछ उन्हीं पर छोड़कर पुरुष वर्ग दूर से तमाशा देखे और उन्हीं से सब कुछ कर गुजरने की अपेक्षा रखे ऐसा नहीं हो सकता। मोर्चे पर लड़ना तो सैनिक को ही पड़ता है, किंतु उसे ठीक तरह लड़ सकने और विजयी बनकर लौटने के लिए दूसरों को भी कम प्रयत्न नहीं करने पड़ते। सैनिकों को भोजन, वस्त्र, आयुध, वाहन, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आदि अनेकानेक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें जुटाने में असंख्य मनुष्यों का अनवरत श्रम और नागरिकों का कर रूप में दिया गया अनुदान प्रचुर परिमाण में नियोजित होता है, तब कहीं वह स्थिति बनती है, जिसमें सैनिकों का सफलतापूर्वक मोर्चा सँभाल सकना संभव हो सके। जाग्रत नारी की भूमिका अग्रिम होगी यह निश्चित है पर परिवार निर्माण अभियान इतना बड़ा है, जिसके लिए जाग्रत पुरुष को भी इससे कम नहीं, अधिक ही प्रयास करने होंगे। सैनिक लड़ें तो, पर उनका पथ प्रशस्त करने के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, ड्राइवर, रसोइए, कारीगर आदि का अता-पता भी न हो तो विजय श्री प्राप्त करना तो दूर, मोर्चे तक पहुँचना एवं लड़ना साधन बनने तक संभव न हो सकेगा। जाग्रत महिलाएँ परिवार निर्माण की अग्रिम भूमिका निभाएँ और दूसरे लोग उसको भरपूर सहयोग करने तथा साधन जुटाने में किसी प्रकार कमी न रखें तभी बात बनेगी। महिला जागरण से अभिप्राय उस पुरुष वर्ग



### ३०] नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार

को भी सम्मिलित रखने का है जो इस महान प्रयोजन की उपयोगिता समझते हैं और उसमें सहयोग देने के लिए उत्सुक हैं।

जाग्रत नारी संगठित रूप से अपने निजी परिवार को तथा संपर्क क्षेत्र को प्रभावित करे। इसके लिए समय निकाले और संघबद्ध होकर काम करे। उसे घर परिवार का कार्य भार वहन करते हुए भी इतना समय बच सकता है, जिसमें अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत कुछ किया जा सके। घर में भी संगठित प्रयास करने होंगे और बाहर संपर्क क्षेत्र में भी वही नीति अपनानी होगी। मिल-जुलकर काम करने की व्यवस्था न बन सके तो न किसी घर-कुटुंब को सुसंस्कृत बनाया जा सकेगा और न सामूहिक प्रयासों से इस सृजन-प्रवाह को अग्रगामी बनाया जा सकेगा। अतएव जाग्रत नारी को गृह व्यवस्था की तरह ही परिवार-परिष्कार का काम दैनिक कृत्यों में सम्मिलित करना है वहाँ पुरुष वर्ग को भी अपने घरों की नारियों को इसके लिए समझाना, उत्साह भरना, सहयोग देना तथा अवसर प्रदान करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। कैदी और जेलर की स्थिति बदली जानी चाहिए। जनसंपर्क में आने पर पुरुष यदि कुमार्गगामी नहीं होता तो नारी के ऊपर यह अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि वह नारी जाग्रति के लिए पड़ोस में जाना या पड़ोसियों को बुलाना आरंभ करेगी तो दुराचारिणी हो जाएगी अथवा उनके काबू में न रहेगी। महिला जाग्रति के सदस्य भी यदि इसी क्षुद्रता से घिरे रहें और सामंतवादी आतंक को छोड़ सकने में सहमत न हो सकें तो समझना चाहिए कि इतने दिन तक उनके घर में महिला जागरण अभियान का आलोक पहुँचना निरर्थक चला गया। प्रगति के लिए अवसर तो मिलना ही चाहिए। समय और सुविधा न मिले तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। प्रत्येक भावनाशील पुरुष का इस युग संघ्या में परम पवित्र कर्तव्य है कि वह आपके घरों की, प्रभाव क्षेत्र की महिलाओं को अवसर देने और दिलाने का प्रयत्न करे कि वह अभियान की गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए घर में तथा घर से बाहर उपयुक्त अवसर प्राप्त कर सके। इसके लिए समय संबंधी सुविधा देने के लिए वर्तमान ढर्रे में आवश्यक हेर-फेर करना



होगा अन्यथा बेतुकी अस्त-व्यस्तता में ही वह जकड़ी रहेगी और कुछ कहने लायक काम न होने पर भी घरे में घिरी बंधनों में जकड़े कैदी की तरह समय गँवाती रहेगी। नर का प्रथम सहयोग यही हो सकता है कि वह महिला जागरण की गतिविधियों में अपने घर की तथा पड़ोस की महिलाओं को अधिक संख्या में सम्मिलित होते रहने का उपाय सोचे और निरंतर प्रयत्न करके इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करे।

कार्य की गरिमा विशालता और संभावना को देखते हुए यह आवश्यक है कि उसका उत्तरदायित्व वहन करने के लिए एक सुसंगठित तंत्र खड़ा किया जाए। तिनके बटकर मजबूत रस्सा बनाया जाता है, यह सभी जानते हैं। यह भी सभी जानते हैं कि कमजोर धागे मिलकर उपयोगी वस्त्र बनते हैं। एक-एक वोट मिलकर समर्थ से समर्थ शासन को हटा-मिटा सकते हैं। सेना से लेकर कारखानों तक जितने भी समर्थ तंत्र हैं, वे सुदृढ़ संगठन के आधार पर ही बनते हैं। नाम चाहे महिला जागरण हो अथवा परिवार निर्माण, उस महान प्रयोजन के लिए तदनुसार भावना रखने वाले और प्रयास करने वाले वर्ग का एक सुव्यवस्थित संगठन होना ही चाहिए। इसके लिए महिला शाखा संगठन के रूप में एक बार प्रयत्न किया भी जा चुका है। परिवार निर्माण के लिए उन संगठनों को नए सिरे से अनुप्राणित किया गया है और संगठन को नई चेतना प्रदान की गई है।

इसके लिए परिवार निर्माण की आवश्यकता और महत्त्व को समझने वाले विचारशील परिजनों से स्थानीय संगठन का ढाँचा तैयार करने की अपेक्षा की गई है। उत्साही लोगों को इसके लिए सर्वप्रथम आगे आना चाहिए। कुछ लोग सदा अग्रणी होते हैं, पीछे अनुकरण एवं अनुगमन करने वाले तो अनेक हो जाते हैं, पर अग्रगमन के लिए साहस चाहिए। नेतृत्व करने वालों को अनुगामियों से अधिक कष्ट नहीं उठाने पड़ते, पर उन्हें जो अधिक श्रेय-सम्मान मिलता है, उसका कारण एक ही है कि वे दूसरों की प्रतीक्षा किए बिना अपने बल-बूते आगे बढ़ने का साहस जुटा सके। दूध गरम करने

—गई



## ३२ नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार

उभरकर ऊपर आ जाती है और तैरने लगती है। यही मनुष्य की विशिष्टता है, जो सत्प्रयोजनों में आगे बढ़कर भाग लेने वालों में प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर होती है। परिवार निर्माण का संगठित शुभारंभ करते हुए, ऐसी ही प्रतिभाओं की आवश्यकता है जो स्वयं आगे बढ़ें और अन्यान्यों को साथ लेकर आगे बढ़ चलीं।

ऐसे अग्रगामी हर जगह पाए जाते हैं। मिशन के कार्यवाहक, टोली-नायक, कर्मठ कार्यकर्ता, समयदानी प्रायः इसी स्तर के विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। उन्हें ही परिवार निर्माण के अभिनव कार्यक्रम को हाथ में लेने, संगठित करने और आगे बढ़ाने के लिए मुहिम सँभालनी चाहिए। जाग्रत आत्माओं में मिशन की पत्रिकाओं के सदस्यों की गणना हो सकती है, सर्वप्रथम इन्हीं को एकत्रित और संगठित किया जाए, महिला जाग्रति, युग निर्माण, अखंड ज्योति और युग शक्ति के सदस्यों से अग्रणी लोग स्वयं मिलें, मात्र बुलावा न भेजें। उन्हें परिवार निर्माण को सुसंगठित और व्यापक बनाने के लिए किसी निर्धारित तिथि पर, निर्धारित स्थान पर एकत्रित होने के लिए कहा जाए, संभव हो तो उसी दिन अथवा एक दिन पहले नियत समय पर एकत्रित होने का स्मरण फिर से दिला दिया जाए। आग्रह और अनुरोध जब प्रभावशाली लोग किसी ऐसे काम के लिए करते हैं; जिसमें एकत्रित होने वालों का भी स्वार्थ सधता हो तो उपस्थिति में बहुत कमी नहीं रहती।

पत्रिकाओं के सदस्यगण यह जान चुके हैं कि परिवार निर्माण अभियान पर क्यों जोर दिया जा रहा है ? और उसे अग्रगामी बनाने में मिशन की समस्त योजनाओं का किस प्रकार सीधा संबंध है ? एकत्रित लोगों को संक्षेप में इन तथ्यों को प्रभावशाली प्रतिपादनों द्वारा समझा दिया गया तो उन्हें विज्ञ परिजनों के गले उतार देना और उसमें सहयोग करने के लिए सहमत कर लेना कुछ कठिन नहीं है। मुख्य प्रश्न संगठन खड़ा करने और उसे गतिशील करने का है। इस प्रयोजन के लिए सर्वप्रथम यही विचारणीय है। उपस्थित लोगों में से कौन अपने प्रभाव का, किस प्रकार उपयोग करेगा और अपने घर की तथा संपर्क की महिलाओं को नव संगठन की सदस्या बनाएगा। आम

तौर से महिलाएँ संकोची स्वभाव की होती हैं, सामुदायिक कार्यों में सम्मिलित होते हुए झिझकती हैं। फिर वे घरेलू कामों में व्यस्त भी रहती हैं। प्रगतिगामी स्तर के बड़े-बूढ़े प्रायः घर की स्त्रियों को बाहर जाने में कई प्रकार की आशंकाएँ करते और उन पर रोकथाम करते हैं। इन कठिनाइयों के कारण यह प्रश्न कठिन ही रहेगा कि महिलाएँ संगठन में सम्मिलित हों और इसका सदस्यता शुल्क साप्ताहिक सत्संगों में उपस्थित होने के रूप में चुकाया करें। साप्ताहिक सत्संग ही इस संगठन की रीढ़ है। जो महिलाएँ उनमें उपस्थित होती रहेंगी, उन्हीं से यह आशा की जा सकती है कि आवश्यक जानकारियाँ और प्रेरणाएँ लगातार प्राप्त करते रहने के कारण अपने घरों का वातावरण बनाने तथा मिशन को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकेंगी। अस्तु सत्संगों में उपस्थिति को ही सच्चे मन से, सदस्यता स्वीकार करना माना गया है।

इस प्रथम सम्मेलन में विचारशील पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आमंत्रित, एकत्रित किया जाए और घुमा-फिराकर एक ही बात पर जोर दिया जाए कि सत्संग में एकत्रित होने वाली विचारशील महिलाएँ कौन कितनी जुटा सकता है ? इसके लिए मात्र सूचना देने भर से काम न चलेगा। वे जिस कारण उपस्थित न हो पाएँगी, उन कारणों की कल्पना करना एवं समाधान निकालना भी उन्हीं का काम है, जो सदस्याएँ बनाने का उत्तरदायित्व उठाएँ। एकाध बार आकर शिथिल न होने लगे, इसके लिए उत्साह भरते रहना, सम्मिलित होने का सत्परिणाम समझाते रहने की आवश्यकता बहुत समय तक बनी रहेगी। जो इतनी लंबी और बहुत समय तक चलने वाली भूमिका निभा सकेंगे, उन्हीं का वह वचन पूरा हो सकेगा, जिसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाने का निमित्त दिया था।

संगठन को 'महिला जागरण शाखा' का पुराना नाम ही दिया जाए। इसमें महिलाओं के नेतृत्व की प्रधानता का बोध होता है। यों उद्देश्य परिवार निर्माण है और उसमें पुरुषों का भी योगदान है। इतने पर भी उन्हें सहयोगी के रूप में ही काम करना है। युग निर्माण शाखाएँ पहले से ही चलती हैं, पुरुष उनके माध्यम से अपने बहुमुखी



## ३४ : नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार

प्रयासों को जारी रख सकते हैं और परिवार निर्माण में महिलाओं का हाथ बटाने की योजना सम्मिलित रख सकते हैं। चूँकि परिवार महिलाओं के नेतृत्व में ही परिष्कृत बना सकता है। इसलिए परिवार निर्माण जैसा नाम न देकर महिला शाखा कहना ही उपयुक्त समझा गया है। इसमें एकत्रित होने वाली महिलाएँ ही रहेंगी तो पुरुषों की घुसपैठ होने की गुंजायश न रहेगी और वैसे किसी लोकोपवाद का डर न रहेगा, जिसके कारण संगठन को क्षति पहुँच सकती है। ऐसे-ऐसे अनेक तर्कों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए परिवार निर्माण आंदोलन का आरंभ करते हुए, उसका पुराना नाम ही सही समझा गया है।

महिलाएँ सदस्या रहेंगी, सदस्या की फीस सत्संग में उपस्थित है। जो ५२ सप्ताहों में से आधे अर्थात् २६ में भी उपस्थित न हो सके, उसे सदस्या नहीं, दर्शिका ही माना जाएगा। पुरुष सभ्य कहलाएँगे और वे महीने के दूसरे और चौथे रविवार को एकत्रित होकर यह विचार किया करेंगे कि मिशन को अग्रगामी बनाने में उनका अधिक योगदान किस प्रकार संभव हो सकता है ?

इस कार्य के लिए उन सभी को जन संपर्क के लिए निकलना पड़ेगा, जो इस प्रयास के समर्थक हैं। उसके लिए दो-दो की टोलियाँ बननी चाहिए और अपने-अपने परिचय क्षेत्र में संपर्क साधने के लिए योजनाबद्ध रूप से निकलना चाहिए। महिला महिलाओं से और पुरुष पुरुषों से संपर्क साधे। उद्देश्य एक ही होना चाहिए। विचारशील महिलाएँ साप्ताहिक सत्संग में नियमित रूप से सम्मिलित हुआ करें। उत्साह भरे प्रयत्नों का परिणाम सदा आशाजनक सफलता के रूप में उत्पन्न हुआ है। महिला शाखा का गठन जहाँ भी भाव भरी मनःस्थिति में किया जाएगा, वहाँ वह निश्चित रूप से सफल होगा। शाखा का कार्यालय वहीं होना चाहिए। साप्ताहिक सत्संग के लिए बड़ी खुलासा जगह चाहिए। जहाँ एक सौ तक की उपस्थिति को बैठने की तथा यज्ञ-हवन करने की सुविधा हो। यह कार्य बहुत छोटी तथा बंद जगह में भी नहीं हो सकता। यों थोड़ी उपस्थिति में छोटी जगह में भी काम चल सकता है।



सदस्याएँ सभी होंगी। इनकी टोली नायिका एक रहे, वही दफ्तर आदि सँभाले। पैसे का हिसाब भी वही रखे। बहुत पदाधिकारी बनाने से आपस में व्यर्थ की खींचतान चलती तथा मनो-मालिन्य बढ़ता है। मुहल्लों में कोई बड़ा नगर बटता हो तो उन क्षेत्रों की सूत्र संचालिका को टोली नायिका कहा जाएगा। जहाँ छोटा गाँव है और एक शाखा में ही काम चल जाता है, वहाँ उसे कार्यवाहिका कहा जाएगा। जहाँ कई मुहल्ला शाखाएँ हैं वहाँ की टोली नायिकाओं को एक सूत्र में बाँधे रहने वाली एक कार्यवाहिका भी होगी। जिनके नाम इसके लिए उपयुक्त समझे जाएँ, उनका नियुक्ति पत्र हरिद्वार से प्राप्त कर लिया जाए।

सभी महिला शाखाएँ शांतिकुंज हरिद्वार से चलने वाले महिला जागरण अभियान की इकाइयाँ हैं। सभी शांतिकुंज में पंजीकृत रहेंगी। सदस्याओं और सभ्यों के आवेदन पत्र हरिद्वार भेजने चाहिए। उनकी एक नकल स्थानीय शाखा कार्यालय में भी रहनी चाहिए। हर शाखा के पास निम्नलिखित रजिस्टर रहने चाहिए और उनमें तथ्यों का विधिवत उल्लेख होता रहना चाहिए। (१) आय, व्यय रजिस्टर (२) महिला सदस्याओं एवं पुरुष सदस्यों का रजिस्टर (३) साप्ताहिक सत्संगों की उपस्थिति (४) कार्यवाही सामयिक मीटिंग रजिस्टर (५) स्टाक रजिस्टर (६) पत्र व्यवहार रजिस्टर (७) पुस्तक सूची रजिस्टर (८) पुस्तकों को देने, वापिस लेने का रजिस्टर।

साप्ताहिक सत्संग रविवार को न रखकर गुरुवार या अन्य किसी दिन रखना चाहिए। रविवार को घरों में प्रायः काम बढ़ जाता है। उस दिन बाहर जाने में काम, काजी महिलाओं को प्रायः असुविधा ही होती है।

महिलाओं के लिए एक विद्यालय क्रम भी चलाना पड़ेगा। निरक्षरों को साक्षरता, इच्छुक को संगीत, सिलाई आदि कुटीर उद्योगों की शिक्षा, यज्ञ आदि धार्मिक कृत्य, शिशु पालन, स्वास्थ्य रक्षा, गृह व्यवस्था आदि उपयोगी विषयों का शिक्षण क्रम निरंतर चलना चाहिए। इसके लिए सुशिक्षित महिलाओं से अवैतनिक सेवा करने एवं समय देने के लिए अनुरोध करना चाहिए। जहाँ सुविधा एवं आवश्यकता



### ३६: नर स्त्रियों की खदान सुसंस्कृत परिवार

समझी जाए वेतन देकर भी अध्यापिका रखी जा सकती है। जो नित्य न आ सके, एक दिन या दो दिन बीच में देकर भी पाठशाला में आने का और सीखे हुए विषयों का घर पर अभ्यास करते रहने का क्रम चला सकती है।

महिलाओं के सभी कार्यक्रम मध्यांतर दो से पाँच के बीच ही ठीक पड़ता है। यही समय उसकी सुविधा का है। परिवार निर्माण की वे सभी प्रवृत्तियाँ जो महिलाओं से संबंधित हों इन्हीं तीन घंटों में रखनी चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में अन्य समय उनके लिए सुविधाजनक नहीं रहेगा।


महिला पाठशाला के लिए छोटा स्थान काम दे सकता है। उसमें साप्ताहिक सत्संगों जैसी भीड़ नहीं हो सकती। औसतन बीस महिलाओं का प्रशिक्षण क्रम चलता रहे तो बहुत है। स्थान की व्यवस्था इसी आधार पर की जानी चाहिए। दफ्तर, सत्संग-स्थान एवं विद्यालय आवश्यक नहीं कि एक ही स्थान पर हों, सुविधानुसार उन्हें पृथक-पृथक स्थानों पर भी रखा जा सकता है। संगठन के समय ही यह स्थान संबंधी निर्धारण भी किया जाना चाहिए।

इस प्रकार परिवार निर्माण की प्रक्रिया हर स्थान पर किसी न किसी रूप में आरंभ की जा सकती है। उन प्रयोजनों के लिए अर्थ-साधनों की आवश्यकता भी पड़ेगी। शाखा संगठन ठीक प्रकार से चलने लगे इसके लिए कुछ उपकरण अत्यंत आवश्यक है और उन्हें जुटाना भी धन साध्य है, इसके लिए चंदा करके महिला शाखा को देना पुरुषों का ही काम है। यों कुछ तो महिलाएँ भी आपस में करेंगी ही। साप्ताहिक सत्संग में हवन, संगीत के वाद्य यंत्र, यज्ञ के आवश्यक उपकरण, हवन पद्धति की २५ प्रतियाँ, पुस्तकालय के लिए साहित्य, रजिस्टर, साइन बोर्ड आदि उपकरणों की तुरंत आवश्यकता होगी। स्लाइड प्रोजेक्टर और लाउडस्पीकर ये दो आवश्यक मशीनें हर शाखा के पास चाहिए। बिछाने के फर्श अपने होने चाहिए। दफ्तर जहाँ भी स्थापित होगा वहाँ फर्नीचर, अलमारी आदि की आवश्यकता पड़ेगी। उपरोक्त वस्तुएँ एकत्रित करने में प्रायः दो हजार रुपयों की जरूरत पड़ेगी। कम साधन होने पर स्लाइड प्रोजेक्टर लाउडस्पीकर



की रकम एक हजार रुपए का बाद में भी प्रबंध हो सकता है। इसी प्रकार कम राशि में अन्य कटौतियाँ भी हो सकती हैं। प्रयत्न यही रहना चाहिए कि नव निर्मित महिला शाखा की आरंभिक पूँजी दो हजार की जुट सके और आवश्यक सभी सामान एकत्रित हो जाने पर कार्य सुचारु रूप से चलने लगे।

ये थोड़ी-सी आवश्यकताएँ पूरी कर लेने पर महिला जागरण का, परिवार निर्माण का कार्य अभियान स्तर पर आरंभ हो सकता है। जब कोई प्रक्रिया या कार्य चल पड़ता है तो उसमें सहयोग देने के लिए फिर कई व्यक्ति आगे आते हैं और अग्रगामी लोगों का अनुगमन करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि परिवार निर्माण अभियान को अग्रगामी बनाने के लिए कुछ प्रतिभाएँ आगे आएँ और प्रस्तुत प्रयोजन में अपना कुछ अधिक समय लगाएँ। विचारशील परिजनों को इस तरह के प्रयास तुरंत आरंभ करना चाहिए।





## वातावरण का निर्माण और उसके लिए प्रशिक्षण

परिवार निर्माण का कार्य संसार में अब तक हुए समस्त महान प्रयोजनों में से बड़ा है। इस अभियान में संलग्न परिजनों को सृजन और परिवर्तन की दोहरी भूमिका निभानी पड़ेगी। कहना नहीं होगा कि इसके लिए संगठित प्रयत्नों की आवश्यकता है। अब तक संसार में जितने भी बड़े प्रयास हुए हैं वे सब संगठित प्रयत्नों से ही संपन्न हो सके हैं। इतिहास पुराणों में इसके ढेर उदाहरण मिलते हैं।

देवताओं को तब विजय मिली जब वे संघ शक्ति दुर्गा का आश्रय लेकर, सम्मिलित शक्ति द्वारा अनाचार से जूझने को कटिबद्ध हुए। समुद्र मंथन की कथा में सम्मिलित प्रयत्नों की महत्ता का प्रतिपादन है। ग्वाल बालों की सहायता से गोवर्धन उठना, वानर सेना द्वारा समुद्र सेतु बाँधना, बुद्ध के परिव्राजकों और गाँधी के सत्याग्रहियों द्वारा अनय से जूझना सर्व विदित है। ऋषियों के रक्त संचय से बना घट सीता के रूप में परिणत हुआ और असुरों के विनाश का निमित्त बना। राजसूय यज्ञों द्वारा शासन-संचालकों को और बाजपेय यज्ञों द्वारा धर्माध्यक्षों को संगठित एवं सक्रिय करने का प्रयत्न होता है, धार्मिक मेलों एवं पर्व सम्मेलनों का आयोजन विचारशील वर्ग को एकत्रित करके और सामयिक समस्याओं के समाधान में जुट पड़ना ही उद्देश्य होता है। संस्थाओं के वार्षिक एवं विशिष्ट सम्मेलन बुलाए जाते हैं, इनमें जन चेतन को समवेत करके और दिशा विशेष में लगाने के निमित्त ही इतनी खर्चीली और कष्ट साध्य व्यवस्था बनती है। तीर्थ पर्वों में धर्म प्रेमियों का एकत्रित होना प्राचीनकाल में सोद्देश्य ही होता था। आज भले ही वह परिभ्रमण या पुन्य अर्जन मात्र बनकर रह गया हो। परिवार निर्माण अभियान के लिए भी इसी को अवलंबन लेना पड़ेगा। भारतीय जनता को इसी



आधार पर कोई विचार, कोई तथ्य समझाया जा सकता है। खासतौर से किसी प्रयोजन के लिए संगठित करना हो, तब तो उसकी और भी अधिक आवश्यकता पड़ती है।

कहा जा चुका है कि परिवार निर्माण अब तक संसार में हुए समस्त महान प्रयोजनों से अधिक बड़ा काम है। उसे परिवर्तन और सृजन की दुहरी भूमिका निभाने वाला, समस्त मानव समाज को प्रभावित करने वाला विशालतम अभियान कह सकते हैं। व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण की चर्चा बहुत होती है। इसके लिए उत्तेजक, किंतु उथले प्रयत्न भी बहुत होते हैं। जब कभी ठोस और सशक्त कदम उठाना होगा, परिवार निर्माण को ही प्रमुखता देनी होगी। उत्कर्ष चाहे एकाकी हो अथवा सामुदायिक उसके लिए व्यक्तित्वों को ढालना ही प्रधान कार्य है। यह ढलाई मात्र परिवार की फैक्टरी में ही हो सकती है। चरित्र एवं दृष्टिकोण के विकास परिष्कार के लिए वाणी से, लेखनी से तथा प्रदर्शन आंदोलनों से भी कुछ न कुछ तो होता ही है, पर उसकी आधार भूमि बाल्यकाल से ही बनती है यह कार्य परिवार संस्था के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। अतएव विश्व संकट के समाधान से लेकर नव निर्माण तक के समस्त प्रयोजनों को संपन्न करने के लिए परिवार की प्रयोगशाला एवं पाठशाला का ही द्वार खटखटाना पड़ेगा। पारिवारिकता को व्यापक बनाए बिना मानव का कल्याण लक्ष्य पूरा हो ही नहीं सकता।

परिवार अपनी वर्तमान परिस्थितियों में भोंड़ी सराय बनकर रह रहे हैं, उन्हें सृजन-संस्थानों, नर रत्न उपजाने वाली खदानों के रूप में परिणत करना हो तो उसके लिए व्यापक एवं सामूहिक कदम उठाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। इन प्रयत्नों के लिए भले ही शासन तंत्र जैसे केंद्र कार्यालय स्थापित न करने पड़े, सैनिक छावनियों जैसे पड़ाव न डालने पड़ें, पर कृषि फार्मा, कारखानों और विश्वविद्यालयों जैसे सम्मिलित प्रयत्न तो करने ही होंगे, वे भले ही छोटे-छोटे आकारों में विकेंद्रित रूप से काम करें। उद्यानों का प्रयोजन पूरा करने के लिए छोटी नर्सरियाँ बनाई जाती हैं। शिल्पियों के



## 80 नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार

प्रशिक्षण का उद्देश्य छोटे-छोटे संस्थान पूरे करते हैं। आकार विस्तार महत्वपूर्ण नहीं, ऐसे कार्यों में आवश्यकता संगठन को इतना व्यापक बनाने की होती है, जिससे जन-जन तक उस आलोक को पहुँचाना और घर-घर को उससे प्रभावित करना संभव हो सके। हमें यही करना होगा।

गंगा का कार्य क्षेत्र कितना ही बड़ा क्यों न हो उसका प्रवाह गंगोत्री गोमुख से ही आरंभ होता है। सूर्य से लाभान्वित भले ही समस्त संसार होता हो, पर उसका प्रथम दर्शन तो उदयाचल पर ही होता है। परिवार निर्माण आंदोलन का प्रारंभ महिला जाग्रति अभियान के सदस्यों और सदस्याओं के संयुक्त प्रयासों से होना चाहिए। इसके लिए स्थानीय संगठन तंत्र खड़ा हो, शाखाओं के सदस्य बढ़ाए जाएँ, साप्ताहिक सत्संगों की नियमित व्यवस्था, संस्कार पर्व और जन्म दिवसोत्सवों का सुनियोजित कार्यक्रम बनाएँ और उन्हें अधिकाधिक प्रभावी, सफल बनाने के लिए तत्परतापूर्वक प्रयत्न करें।

यह तो स्थानीय शाखाओं द्वारा संगठन स्तर पर परिवार निर्माण आंदोलन चलाने की बात हुई, किंतु यह प्रयोजन इतने मात्र से ही पूरा नहीं हो जाता। इस अभियान की आवश्यकता को देखते हुए परिवार निर्माण का कार्य हर कुटुंब को अपने ढंग से अपनी परिधि में चलाना पड़ेगा। इसलिए उसकी विधि व्यवस्था और कार्य पद्धति छोटी-छोटी इकाइयों के रूप में ही चलेगी। इसका नेतृत्व किस घर में कौन सँभाले इसका नियम नहीं बन सकता ? आयु या रिश्ते की दृष्टि से जां बड़े होते हैं, प्रायः पारिवारिक मामलों में उन्हें ही आगे रखा जाता है। विवाह-शादियों, रस्म-रिवाजों में ऐसे ही लोगों को आगे रखा जाता है, किंतु इस अभियान में ऐसे लोगों को आगे चलने से काम नहीं चलेगा। यह कमान प्रगतिशीलों और प्रतिभावानों को सँभालनी चाहिए। घर में प्रायः कमाऊ लोगों की या समझदारों की बात चलती है। प्रमुख निर्णय उन्हीं के होते हैं। व्यवस्था बनाने में उन्हीं की सूझ-बूझ और प्रतिभा काम करती है। पुरुषों की तरह महिलाओं के संबंध में भी यह बात है। आयु या रिश्ते की बड़ी बुढ़ियाँ रीति-रस्मों में सम्मान तो पाती हैं, पर आगे वे ही रहती हैं

जिनमें प्रतिभा, समझ एवं मिलनसारी होती है। परिवार का वास्तविक नेतृत्व इसी स्तर के नर-नारी संभालते हैं। परिजनों को यह पहल अपने-अपने घरों में आरंभ करनी चाहिए इस शुभ प्रयास के आरंभ में उपहास और व्यंग्य का दौर चलना निश्चित है। इतने से ही हार गए उन्हें आगे की बात नहीं सोचनी चाहिए, पर जो इस निश्चय पर आरूढ़ हों कि यह उत्तरदायित्व हर हालत में निभाना है, उनके लिए शुभारंभ में तनिक कठिनाई नहीं हो सकती है।

आरंभ इस प्रकार किया जाए कि घर के सब लोगों को इकट्ठे करके कई दिन एक विचार गोष्ठी चलाई जाए। परिवार निर्माण अभियान की प्रस्तुत योजना पर उपलब्ध साहित्य पढ़कर सुनाया जाए। ये पुस्तकें अभियान के विचारों का बीज डालने में पर्याप्त सहायक सिद्ध हो सकती हैं। इसके बाद इन प्रेषित परामर्श पर खुले मस्तिष्क से विचार किया जाए। सभी का मत पूछा जाए। आशा यही की जा सकती है कि निर्णय इसी पक्ष में जाएगा कि इस प्रयास में कोई नई लागत लगाने या साधन जुटाने जैसी कोई बात तो है नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का ही प्रश्न है। जो सुझाव सामने हैं वे ऐसे नहीं हैं कि क्रियान्वित किए जाने पर किसी के लिए कोई अनुपयुक्त कठिनाई उत्पन्न करें। लाभ असंख्य हैं हानि तनिक भी नहीं। ऐसी दशा में निश्चय इसी पक्ष में होगा कि प्रयास का शुभारंभ ही श्रेयस्कर है। क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व प्रतिभाशाली लोगों को स्वयं ही आगे बढ़कर अपने कंधों पर लेना चाहिए। इसके लिए आदेश मिलने की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है।

अच्छा हो ये विचार कई दिन पढ़े और सुनाए जाएँ। इसके लिए सुविधा के समय परिवार गोष्ठी चलती रहें। आवश्यकता हो तो यह भी कहा जा सकता है कि ये उपयोगी निर्देश उस उद्गम से आए हैं, जिसमें दूरदर्शिता और शुभेच्छा का गंभीर पुट लगा हुआ है। शांतिकुंज की प्रेरणाएँ प्रायः सभी विचारशील परिजन अपने लिए श्रेयस्कर मानते हैं और उन्हें शिरोधार्य करते हैं। परिवार निर्माण अभियान को अग्रगामी बनाने का निर्देश इन्हीं सूत्रों से भेजा गया है। इसे अपना ही श्रेयस्कर है।



स्मरण रखा जाना चाहिए कि शाखा संगठनों का अपना महत्त्व है और उन प्रयासों का मूल प्रयोजन महिला जाग्रति एवं परिवार निर्माण की आवश्यकता से जन-जन को अवगत कराना और उसके लिए आवश्यक वातावरण तथा उत्साह उत्पन्न करना है। मूल कार्यक्षेत्र परिवार है और उन्हीं में धार्मिक वातावरण बनाना है। उसके लिए परिवारों में, एकाकी स्तर पर भी प्रयास करने होंगे। महत्त्व दोनों ही तरह के प्रयत्नों का है। शाखा संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले प्रयत्नों की अपनी सीमा है और परिवार क्षेत्र में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की अपनी। ये दोनों कार्यक्रम एक-दूसरे के पूरक तो हैं, पर साथ ही दोनों के कार्य क्षेत्र की विभाजन रेखा भी है। परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान, उनके दुर्गुणों का निराकरण एवं सद्वृत्तों का अभिवर्धन करना है। यह कार्य निजी रूप से ही हो सकता है। इन प्रसंगों की सार्वजनिक चर्चा नहीं की जानी चाहिए। इससे अनावश्यक चर्चा फैलती है और प्रतिष्ठा पर आँच भी आती है। इसलिए वैयक्तिक समीक्षा के लिए, एकांत चर्चा ही कारगर सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार के प्रसंग सार्वजनिक गोष्ठियों में नहीं उठाए जाने चाहिए। इसी प्रकार सामूहिक प्रयासों में मिल-जुलकर काम करने की, सदुद्देश्यों में एक-दूसरे का अनुकरण करने की भावनाएँ उभारने तथा उत्साह बढ़ाने की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। यह कार्य एक-एक व्यक्ति से अलग-अलग मिलकर नहीं किया जा सकता।

संस्था संगठन को अपना काम कंधों पर उठाना चाहिए और परिवारों की आंतरिक विधि-व्यवस्था सँभालने के लिए उसी घर के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या कार्य कैसे किया जा सकता है, इसके लिए परामर्श एवं मार्गदर्शन भर संगठन की ओर से दिया जाना चाहिए। रास्ता खोलना और सुधार क्रम को आगे बढ़ाना भी यदि ठीक तरह बन पड़े तो समझना चाहिए कि सामूहिक प्रयत्नों ने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया। निजी परामर्श को और सुधार के व्यक्तिगत पक्षों को घर के लिए स्वयं ही उठाएँ तो अधिक अच्छा है। किसका किस पर कितना प्रभाव है ? इस तथ्य के आधार पर



ही परामर्श कारगर हो सकते हैं। गिराने वाली सलाह तो कोई किसी को भी दे सकता है। ललचाने, फुसलाने और गिराने का काम अति सरल है, उसे कोई भी कर सकता है, किंतु बुरी आदतों से छुड़ाने और परिष्कृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए सहमत करना अत्यधिक कठिन है। इसके लिए सलाह ही पर्याप्त नहीं दबाव और प्रभाव भी चाहिए। अस्तु घर की सीमा में जो भी सुधार प्रयत्न चलें, उनमें न केवल शिक्षा ही पर्याप्त समझी जाए, वरन यह भी देखा जाए कि किसका कितना प्रभाव पड़ सकता है, व्यक्तियों द्वारा उपयुक्त कार्य कराने का प्रतिफल ही आशाजनक होता है। अन्यथा सलाह उपहासास्पद, उपेक्षित बनकर रह जाती है।

यह व्यक्तिगत प्रसंगों की एकांत चर्चा की बात हुई, अब देखना यह है कि क्या कोई ऐसा उपाय भी है, जिससे परिवारों में शालीनता का शिक्षण अनवरत चला रहे और उसका प्रभाव क्रमिक गति से, परोक्ष रूप से सदस्यों के अंतःमन पर पड़ता और परिपक्व होता रहे। यहाँ एक बड़ी कठिनाई यह है कि मनुष्य की मानसिक बनावट ऐसी है कि वह स्वेच्छाचार बरतने में प्रसन्न रहता एवं गौरव अनुभव करता है। दूसरों की सलाह मानने में उसे अपनी मौलिकता में कमी और प्रतिष्ठा में हेटी लगती है। देखा गया है कि किसी को सुधारने या आगे बढ़ने की सलाह दी जाए तो वह बुरा मानता है और उपेक्षा के रूप में अपनी असहमति व्यक्त करता है। कभी-कभी तो अवज्ञा और मनोमालिन्य तक की स्थिति उत्पन्न की जाती है। चिढ़ में वह कार्य और भी अधिक होने लगता है, जिसकी रोकथाम की गई थी।

सलाह कभी हल्के-फुलके ढंग से ही दी जा सकती है। रोज-रोज उसी बात को दुहराने से 'पीछे पड़ना' समझा जाता है और उससे लाभ के स्थान पर उल्टा विग्रह खड़ा होता है। एक ओर यह मानवी दुर्बलता सुधार प्रयत्नों को निरस्त करती है, दूसरी ओर यह एक जीवन-मरण जैसी आवश्यकता है। सुधार-परामर्श का क्रम न चलाया जाए तो दुरुगुण पनपते और पराभव ही होते चलेंगे। उनकी हानि ही समझ में न आएगी और परिवर्तन की आवश्यकता का ही अनुभव न होगा। चुप रहना, कहने से अधिक बुरा, कहना चुप रहने



## ४४ : नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार

से बुरा, इस असमंजस का निराकरण कैसे हो ? यह एक जटिल प्रश्न है।

समाधान एक ही है, परोक्ष शिक्षा। पंच तंत्र और हितोपदेश ग्रंथ जिन्होंने पढ़े हैं, वे जानते हैं कि विष्णु शर्मा ने उदंड राजकुमारों को किस प्रकार कथा-कहानियाँ सुनाकर परोक्ष शिक्षा दी थी और किस प्रकार उनकी उच्छृंखलता को शिक्षित करने तथा सुधारने की सत्प्रवृत्ति में बदल दिया था। कथा पुराणों का सारा कलेवर प्रायः इसी उद्देश्य से रचा गया है कि जनसाधारण को ऐतिहासिक प्रसंग सुनाकर उनके निष्कर्षों को समझने और अपने लिए नीति-निर्धारण करने का अवसर मिले। इस परोक्ष शिक्षण में मनोरंजन भी रहता है, प्रतिष्ठा का प्रश्न भी नहीं बनता और सुनने वालों की मनोभूमि पर अपनी छाप भी जमाता है। यही नीति परिवार निर्माण में कारगर हो सकती है। अन्यथा प्रत्यक्ष उपदेश देने का क्रम चलाने पर लोग ऊबने लगेंगे और उन्हें सुनने तक में आना-कानी करने लगेंगे। ऐसी स्थिति न आने पाए, इसलिए परिजनों का चिंतन और चरित्र परिष्कृत करने की महती आवश्यकता को आतुर निर्देश के आधार पर नहीं, वरन् परोक्ष शिक्षा पद्धति अपनाकर, धैर्यपूर्वक ही पूरा करना अधिक लाभदायक रहता है।

उपयुक्त प्रशिक्षण के लिए कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। वे सामान्य दीखते हुए भी, परोक्ष प्रशिक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। (१) नमनवंदन (२) आरती कीर्तन (३) कथा-कहानी (४) स्वाध्याय (५) परामर्श गोष्ठी (६) पर्व आयोजन (७) संस्कार (८) जन्म दिन आदि सभी प्रसंगों में आदर्शवादी प्रशिक्षण के परोक्ष तत्त्व पर्याप्त मात्रा में भरे पड़े हैं। उनके माध्यम से हर सदस्य को उपयोगी निष्कर्ष निकालने और उन्हें अपनाने का उत्साह उठता है। यह आत्म शिक्षण जितना कारगर सिद्ध होता है, उतना कोई और उपाय नहीं।

उपरोक्त प्रशिक्षण प्रक्रिया में से कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं, जो नित्य चलने चाहिए और कुछ ऐसे हैं, जिन्हें कुछ बड़े रूप में उत्सव आयोजनों के रूप में चलना चाहिए। ये उत्सव होते तो घरेलू हैं और



उनमें मात्र पड़ौसी संबंधी ही एकत्रित होने के कारण छोटे भी रहते हैं, किंतु उतने से भी सामुदायिक चेतना उत्पन्न होती रहती है और उत्साह उभरता है। ऐसे अवसरों पर जो गीत प्रवचन होते हैं, वे किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करके नहीं कहे जाते हैं। सर्वसाधारण के लिए व्यक्त किए जाते हैं, अतएव उन्हें समझने स्वीकार करने में उतनी कठिनाई नहीं होती, जितनी कि निजी परामर्श में प्रतिष्ठा का प्रश्न खड़ा होने पर उत्पन्न होती है। प्रवचनों में सिद्धांतों की चर्चा करते हुए वह सब कुछ कहा जा सकता है, जो उस परिवार की विशेष स्थिति को देखते हुए आवश्यक समझा गया है। परोक्ष इंगित करने वाले परामर्श शांतिपूर्वक विचार करने की मनःस्थिति उत्पन्न करते हैं। फलतः उनका सत्परिणाम भी अधिक होता है।

दैनिक शिक्षा में (१) पूजा विधान के साथ जुड़ी हुई प्रेरणाएँ (२) कथा-कहानियाँ (३) स्वाध्याय की आदत। ये तीनों ही सर्वोपरि हैं। चौथी वह है, जो आदत बदलने के लिए, सुधार क्रम चलाने के लिए गृह संचालकों को साथ लिया जाता है।

कथा-कहानियाँ छोटे-बच्चों को लक्ष्य रखकर उनके मनोरंजन के लिए कही जाती हैं, पर इधर-उधर बैठकर अन्य लोग भी कान लगाए रहते हैं और बच्चों के साथ बैठकर न सही, सुनते वे भी ध्यानपूर्वक हैं। मनोरंजन तो उनका भी होता है। यह कथा-कहानी कहने की प्रक्रिया सुनियोजित होनी चाहिए और क्रमबद्ध रूप से चलनी चाहिए। कहानियाँ प्रेरक ही हों, न अनर्गल न अनैतिक। अनर्गल वे हैं, जो बिना उद्देश्य की होती हैं और भूतों और देवताओं का भय एवं भ्रम पैदा करती हैं। जिनका न कोई उद्देश्य होता है न निष्कर्ष। ऐसे ही बेतुके प्रसंगों को जोड़-गाँठ कर कहानी गढ़ ली जाती है। आजकल बाहुल्य इसी बेतुकेपन का है। इसी प्रकार हत्या, दुराचार, छल जैसे कुकर्मों के आधार पर मिली हुई सफलताओं का उल्लेख करने वाली कहानियाँ, सुनने वालों को उसी प्रकार सोचने एवं चलने की प्रेरणा देती हैं। इस विषाक्तता से बचना ही श्रेयस्कर है।



## ४६ : नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार

कहानियाँ रोज नई चाहिए। पुरानी सुनने से मन नहीं भरता। नई कहाँ से आएँ ? उन्हें कहाँ से खोजें ? यह एक कठिन प्रश्न है। इसको हल करने के लिए छोटे बालकों तथा बड़े बच्चों के लिए प्रेरक कहानियों की एक पुस्तक माला परिवार निर्माण योजना के अंतर्गत छापी जा रही है। संभवतः ३६० चुनी हुई कहानियाँ छप सकें जो एक वर्ष में एक बार क्रम से कही जाती रहें। यों हर दिन दो-दो, तीन-तीन कहानियाँ भी पढ़ी जा सकती हैं। इसके लिए सहस्र रजनी की तरह हजार कहानियों की एक मणि माला भी छापनी पड़ सकती है। स्थानीय प्रवचनों, जन-श्रुतियों एवं बाल-साहित्य में से भी जहाँ-जहाँ ऐसी कथाएँ ढूँढ़ी जा सकती हैं, जो अनाचार के प्रति आक्रोश और सदाचार के लिए उत्साह उत्पन्न करती हों, कहने की शैली निखरनी चाहिए, उसमें लोच, आकर्षण, प्रवाह, कौतूहल, संवेदन एवं निष्कर्ष की दृष्टि से उपयोगी तत्वों का समावेश होना चाहिए। रामायण, भागवत, महाभारत आदिपुराणों में से मात्र उपयोगी अंश छाँटकर सुनाए जा सकते हैं। एक सौ जीवन चरित्र की एक छोटी सीरीज गायत्री तपोभूमि में छपी हैं, वह भी इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त रह सकती है। बच्चों को कहानियाँ और बड़ों को कथाएँ चाहिए। कथाएँ इतिहास की भी हो सकती हैं और पुराणों की भी। हर हालत में, वे प्रेरक ही होनी चाहिए अनर्गल नहीं। कथा और कहानियाँ मिल-जुलकर कहीं जाएँ तो छोटों के लिए और बड़ों के लिए समान रूप से प्रेरक सामग्री उपलब्ध होती रह सकती हैं।

वाणी के माध्यम से उपलब्ध होने वाले ज्ञान-लाभ को सत्संग कहते हैं और अध्ययन, मनन, चिंतन के आधार पर मिलने वाले आलोक को स्वाध्याय। स्वाध्याय व्यसन नहीं अंतःकरण का आहार है। वातावरण में अनैतिक तत्वों की भरमार है। उन्हीं के समर्थक अनेकानेक घटनाक्रम देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। इनका प्रभाव अनायास ही पड़ता है और जन्म-जन्मांतरों की संग्रहित पशु-प्रवृत्तियों को उनसे परिपोषण मिलता है, उनमें से अधिकांश अनैतिक, प्रतिगामी और पतनोन्मुख ही होता है। इस दुष्प्रभाव को काटना आवश्यक है। इसी प्रकार सदुद्देश्यों के सत्परिणाम बताने



वाला और उस मार्ग पर चलने का व्यावहारिक मार्ग दर्शन करने की सुविधा भी निरंतर मिलनी चाहिए। इन दोनों का, प्रबन्ध करना उतना ही आवश्यक है, जितना शरीर के लिए भोजन, वस्त्र का। यह प्रयोजन, सत्संग और स्वाध्याय के दो उपायों से पूरा होता है।

कई बार छोटे बच्चे नहाने, मुँह धोने आदि में तंग करते हैं। उन्हें किसी प्रकार बहला-फुसलाकर इस सफाई के लिए तैयार करना पड़ता है। समय और स्थान पर मल-मूत्र करने की आदत भी उन्हें धीरे-धीरे तथा धैर्यपूर्वक सिखानी पड़ती है। इच्छा होने न होने की परवाह न करके अभिभावक इन नित्य कर्म संबंधी आदतों को प्रयत्नपूर्वक थोपते हैं और तभी चैन लेते हैं। जब बालकों को अभ्यास हो जाता है। ठीक इसी प्रकार घर के हर सदस्य को स्वाध्याय की आदत डालना गृह संचालकों का कर्तव्य है। उसे स्कूली पढ़ाई से कम नहीं अधिक महत्त्व मिलना चाहिए। यों अपने देश में बाल-वृद्ध सभी का प्रायः आधा उपयोगी समय ऐसे ही अव्यवस्थित, अनिश्चित रहता और बर्बाद हो जाता है, उसमें स्वाध्याय के लिए एक या आधा घंटे का समय बड़ी अच्छी तरह जमाया जा सकता है, पर यदि व्यस्तता का बहाना बनाया जा रहा हो और स्कूली पढ़ाई में हर्ज होने जैसी बेतुकी बात कही जाती हो तो भी उसमें हर्ज करके उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। अध्ययन से स्वाध्याय का सत्परिणाम असंख्य गुना अधिक और दूरगामी है, इस तथ्य को जितनी गंभीरतापूर्वक समझा और समझाया जा सके उतना ही उत्तम है। स्वाध्याय क्रम में परिवार निर्माण को मेरुदंड मानकर चला या जाना चाहिए।

परिवार निर्माण के प्रति गंभीर होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में घरेलू मंदिर की, छोटे प्रेरक पुस्तकालय की स्थापना करनी चाहिए। युग साहित्य में वे सभी आधार भरे जा रहे हैं, जो व्यक्ति, परिवार और समाज के नव निर्माण का उद्देश्य पूरा करते हैं। इसका संग्रह अन्य भी संग्रहों से अधिक महत्त्वपूर्ण एवं मूल्यवान माना जाना चाहिए। युग निर्माण परिवार की सदस्यता में अनिवार्य शर्त घर में ज्ञान घट की स्थापना करने की है। दस पैसे नित्य जैसी छोटी



राशि परिवार निर्वाह से भी अधिक परिवार निर्माण के लिए खर्च करते रहना किसी भी दूरदर्शी को भारी नहीं पड़ सकती। दस पैसे नित्य से महीने में तीन रुपए होते हैं। इतना संकलित व्यय तो घर में रहने वाले इतने परिजनों के व्यक्तित्व का निर्माण करने के प्रमुख आधार से किया ही जाना चाहिए वस्तुतः होना तो इससे कई गुना चाहिए। पर आदत न होने और महत्त्व न समझने की दशा में कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि दस पैसे नित्य जितनी स्वल्प राशि परिवार की स्वाध्याय संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए खर्च की जाती रहे। इस राशि से परिवार निर्माण संबंधी नया साहित्य नियमित रूप से खरीदा और पढ़ाया, सुनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य पुस्तकालयों से भी यह आवश्यकता पूरी की जा सकती है। अधिक धन भी खर्च किया जा सकता है।

स्वाध्याय की आदत घर भर के हर वयस्क सदस्य को लगाई जानी चाहिए। उसके लिए समय का खँचा उसकी दिनचर्या में नियमित रूप से नित्य कर्म की तरह बिठाया जाना चाहिए। इस आदत को सर्वोच्च स्तर की दूरगामी परिणाम उत्पन्न करने वाली समझा एवं समझाया जा सके तो समझना चाहिए कि परिवार के प्रगति पथ पर चल पड़ने की आधी समस्या हल हो गई। देखने में तुच्छ किंतु परिणाम में महान इस प्रक्रिया का सत्परिणाम कहीं भी, कभी भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है।

आरती प्रातः सायं या दोनों समय करने से सत्प्रयोजन के लिए सामूहिक प्रयास की भावना परिपक्व होती है। जो उसमें सम्मिलित होते हैं, वे श्रद्धालु बनते हैं। यह सत्श्रद्धा प्रत्येक सम्मिलित होने वाले के अंतराल में ऐसा बीजांकुर बोती है, जिसे फल-फूल विशाल वृक्ष के रूप में समयानुसार सुविकसित होते देखा जा सकता है। आरती के साथ भजन कीर्तन सहगान का क्रम चलता है, इन भाव गीतों में जहाँ ईश्वर भक्ति का तत्व ज्ञान रहता है, वहाँ आत्म शिक्षण की सामग्री भी कम नहीं रहती। परिवार निर्माण योजना के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए जो गीत प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वे सभी ऐसे हैं जिनमें मात्र ईश्वर की मनुहार नहीं वरन् उसके सान्निध्य



से उपलब्ध होने वाली सत्प्रवृत्तियों का पूरा-पूरा संकेत है। इस प्रकार यह भजन, कीर्तन उच्चस्तरीय आत्म शिक्षण की आवश्यकता पूरी करता है। सहगान संगीत में भावोत्तेजक विशेषता रहती है। यदि वाद्य यंत्रों का उपयोग हो सके तो और भी अच्छा अन्यथा गायन की कला का विकास होना भी किसी परिवार की विशिष्टता का एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण है।

नमन वंदना की व्याख्या करते हुए कभी भी घर के लोगों को ऋतंभरा प्रज्ञा का, गायत्री का तत्व ज्ञान समझाया जा सकता है। इस प्रकार पाँच आहुतियों में यज्ञीय आदर्शवादिता का स्वरूप और प्रतिफल समझाया जा सकता है, बलिवैश्य की पाँच आहुतियाँ पारिवारिक पंचशीलों की गरिमा को धर्म धारण के प्रतीक चिन्ह के रूप में हृदयंगम कराई जा सकती हैं। गायत्री भारतीय संस्कृति की जननी और यज्ञ भारतीय धर्म का पिता है। गायत्री को अध्यात्म और यज्ञ को धर्म कहा जा सकता है। इन्हीं दो चरणों को गतिशील बनाते हुए भौतिक एवं आत्मिक प्रगति के उच्च लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता है। इनकी व्याख्या विवेचना करने तथा जीवन में उतारने के संबंध में इतनी अधिक सामग्री मौजूद है कि उसे चिरकाल तक भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया जा सकता है। नमन, वंदन एवं बलिवैश्य की प्रक्रिया में भी परिवार शिक्षण के सभी तत्व प्रचुर परिमाण में विद्यमान हैं।





## महिला प्रशिक्षण की स्थानीय व्यवस्था

परिवारों में परिवार के सदस्यों का शिक्षण करने के लिए उन्हें आदर्शवादी प्रेरणा देने की, परिवार में धार्मिक वातावरण बनाने की प्रस्तुत योजना एकदम नई है। अभ्यास में न होने के कारण इसका प्रचलन करने के लिए परिवार की जाग्रत महिलाओं को परिवार निर्माण में अभिरुचि रखने वाली सदस्याओं का प्रशिक्षण करना चाहिए। इसके लिए महिलाओं को एकत्रित करके उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रकार स्थानीय महिलाओं में से कितनी ही सुयोग्य बनानी पड़ेगी। इसलिए मात्र स्कूली शिक्षा ऊँची होने से भी काम नहीं चलता। अपने विषय की ट्रेनिंग हर किसी को लेनी होती है। महिला विद्यालय उस कार्य को करते हैं, जिससे अभीष्ट उद्देश्य को पूरा कर सकने वाला कौशल निखरे और व्यावहारिक अनुभव बढ़े। द्रुतगति की दिशा में बढ़ने के लिए इन विद्यालयों की सर्वत्र आवश्यकता है। अस्तु इसके लिए प्रयास चलने ही चाहिए। छात्राओं के न मिलने और देर तक स्थिर न रह पाने के जो कारण हैं, उन्हें निरस्त करने से ही काम चलेगा। कठिनाइयों से हार मानने और परिस्थितियों को कोसकर मन हल्का कर लेने से काम नहीं चलेगा। प्रथम प्रयत्न करने और थोड़ी सफलता को भी उत्साहवर्धक मानने और भविष्य में अधिक की आशा रखने की मनःस्थिति ही महान उद्देश्यों को पूरा कर पाती है।

संचालकों के प्रभाव वाले घरों में महिलाएँ स्वयं इनमें पढ़ने और पढ़ाने जाया करें। साथ ही पास-पड़ोस में भी कुछ को घसीटकर साथ ले जाया करें। यह क्रम चल पड़े तो अनुकरण का मनोविज्ञान काम करेगा। कुछ नियमित रूप से जाने लगे तो दूसरी उन्हीं की तरह पढ़ने में गौरव अनुभव करेंगी। यदि कुछ जाना बंद कर दें तो शेष भी न जाने की बात सोचने लगेगी। फैशन जब चलते

हैं तो उनमें नवीनता की नकल ही भेड़िया धसान की तरह दौड़ लगाती है। ठीक इसी प्रकार महिला विद्यालय में पढ़ने जाने न जाने का भी एक फैशन चल सकता है। पहिया घूमने लगा तो अपने आप गति पकड़ लेगा, आरंभ करना और प्रारंभिक गति देना ही हर काम में कठिन पड़ता है। इसके बाद तो एक ढर्रा बन जाता है और सब कुछ स्वसंचालित ढंग से चल पड़ता है। बड़े-बड़े विशालकाय मेले, रामलीला, दशहरा, दुर्गा पूजा आदि के उत्सव हर साल होते हैं। ढेरों समय, श्रम और धन उनमें लगता है। इसके लिए कुछ अलग से योजना बनाने या तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने-अपने हिस्से का काम सभी लोग अभ्यस्त क्रम से सँभाल लेते हैं। ठीक इसी प्रकार साप्ताहिक सत्संग एवं महिला विद्यालय के दोनों कार्य कुछ ही दिनों विशेष भाग-दौड़ करने और प्रभाव, दबाव डालने के सहारे चलेंगे। इसके बाद उनका ढर्रा चल पड़ा तो नए-नए चेहरे उसमें लगातार सम्मिलित होते दिखाई पड़ेंगे। भले ही उनमें से कुछ थकते और निवृत्त भी होते चलें।

महिला विद्यालय में देखने को तो कई प्रवृत्ति चलती दिखाई पड़ेंगी और वे उपयोगी आवश्यक भी लगेंगी, पर हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रशिक्षण के मूल में परिवार निर्माण का तत्त्वदर्शन एवं क्रिया-कौशल सभी छात्राओं को हृदयंगम कराना है और उसका कार्यान्वयन सिखाना है, चूँकि यह प्रशिक्षण लगातार तीन घंटे तक नहीं सिखाया जा सकता, इसलिए उसे थोड़ा-थोड़ा करके उतना-उतना ही दिया जाना है, जितना गले उतरता और पचता चले। विद्यालय की सफलता, असफलता इसी कसौटी पर कसी जाएगी कि उसमें सम्मिलित होने वालियों ने परिवार निर्माण की उपयोगिता कितनी समझी और उस दिशा में कदम बढ़ाने की कितनी प्रेरणा एवं कुशलता प्राप्त की। संचालकों की धुरी का सदा स्मरण करना चाहिए और इन आयोजनों में एकत्रित होने वाली को अभीष्ट उद्देश्य के लिए प्रशंसित करने की मूल आवश्यकता को पूरी करने की दृष्टि रखनी चाहिए। पाठ्य विधि, कार्य पद्धति, गीत, प्रवचन आदि में उसी तथ्य का परिपूर्ण समावेश रहना चाहिए। दिशा भुला देने पर जो वे



## ५२ नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार

आयोजन एक प्रकार से उथली और बचकानी भूमिका संपन्न करने या लकीर पीटने जैसा ही कुछ प्रहसन कर रहे होंगे।

प्रशिक्षण की उपरोक्त दोनों प्रक्रियाओं में पुस्तकालय की प्रक्रिया का एक तीसरा पक्ष है, जिसे मिला देने पर भावभरी त्रिवेणी संगम का प्रत्यक्ष स्वरूप प्रशिक्षण करने की नियमित विधि व्यवस्था का सार्वजनिक आधार, साप्ताहिक सत्संग ही हो सकता है। उसमें सभी शिक्षित-अशिक्षित, वयस्क-अल्पवयस्क एवं वयोवृद्ध नारियाँ समान रूप से एकत्रित हो सकती हैं। अपने-अपने स्तर का आलोक उन सभी को मिल सकता है। गीत वाद्य में रस लेने वाली, धर्म धारणा वाली, प्रकाश-परामर्श की इच्छुक महिलाएँ उस सामूहिकता के उल्लास भरे वातावरण में अपने-अपने मन की सामग्री प्राप्त कर सकती हैं। जिन्हें साहित्य में रुचि हो उनके लिए साप्ताहिक रूप में खुलने वाले पुस्तकालय में उपयोगी साहित्य बिना मूल्य पढ़ने, वापिस करने का अक्सर मिलता रह सकता है। इन सभी रुचियों की महिलाओं को व्यक्तित्व को परिष्कृत करने एवं परिवार का कायाकल्प करने जैसी प्रेरणाएँ मिल सकती हैं।

एकत्रित करके प्रशिक्षण का दूसरा तरीका है—‘महिला विद्यालय’। यह सरकारी स्कूलों से सर्वथा भिन्न होगा। इसमें साहित्य वह पढ़ाया जाएगा, जो शिक्षार्थियों को स्वयं सुयोग्य बनने एवं परिवार को सुसंस्कृत बनाने की कुशलता में प्रवीण करा सके। महिला अभियान को अग्रगामी बनाने में सुयोग्य महिलाएँ क्या योगदान कर सकती हैं, इसकी दिशा-धारा एवं विधि-व्यवस्था की विधिवत जानकारी भी उपलब्ध होनी चाहिए। इन आवश्यकताओं की पूर्ति महिला विद्यालय द्वारा ही हो सकती है।

इसमें हर महिला का प्रवेश नहीं हो सकता। जो उत्साही होंगी वे ही लाभ उठा सकेंगी। अनपढ़ों को साक्षर बनाने और साक्षरों को सुयोग्य बनाने का क्रम इन विद्यालयों में चल सकता है। स्वावलंबन के लिए स्थानीय परिस्थितियों एवं साधनों के अनुरूप कुछ ऐसे उद्योग भी इन विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रखे जा सकते हैं, जिनके उत्पादन को उसी क्षेत्र में आसानी से खपाया जा सके।



सिलाई ऐसा उद्योग है जो हर घर में काम आता है। बाहर के कपड़े न सिँए जाँएँ तो भी घर के छोटे कपड़े अपने हाथों सीं लेना और पुराने बड़े कपड़ों को काट-छाँटकर छोटे नए बना लेना भी एक अच्छी खासी बचत का काम है। शाक-वाटिका लगाना, टूट-फूट की मरम्मत करना भी ऐसा कौशल है, जिसे आजीविका वृद्धि में सहायक-सरल गृह उद्योग माना जा सकता है। महिला विद्यालय में इस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था करके, महिलाओं को उपार्जन-स्वावलंबन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

पंचशीलों का घर में प्रवेश, धार्मिक वातावरण बनाने का प्रयास किस तरह संभव हो सकता है ? इसकी व्यावहारिक जानकारी अधिकारी अच्छी तरह रखने के लिए महिला विद्यालय की पाठ्य विधि पूर्ण रूप से सफल हो सकती है। मध्याह्नोत्तर दो से पाँच बजे तक का समय ही इन विद्यालयों के लिए उपयुक्त पड़ता है। वही समय काम-काजी महिलाओं के लिए ठीक पड़ता है। यदि संगीत शिक्षण का प्रबंध हो सके तो और भी उत्तम है।

बड़ी उम्र में पढ़ने की बात अपने समाज में प्रचलित नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं, इतना ही समझा जाता है। विवाह होने के बाद महिलाओं को पढ़ाने की आवश्यकता कोई नहीं समझता, फिर काम-काज बेतरतीब, बच्चों और पुरुषों की अनियमितता के कारण प्रायः सारा दिन ही व्यस्तता में गुजरता है। किसी अन्य को पढ़ते देखकर, अनुकरण का अवसर भी नहीं होता और एकाकी प्रयास का उत्साह भी नहीं उभरता। घर के लोग अनख मानते हैं। साप्ताहिक सन्नसंग के अवसर पर उपस्थित महिलाओं को पुस्तकें देने और वापिस लेने का क्रम, इस संदर्भ में कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। परिवार निर्माण की परिधि में जो साहित्य काम में आता है, उसी को पुस्तकालय में स्थान दिया जाए और उसी का आदान-प्रदान हो। मात्र मनोरंजन की आवश्यकता पूरी करने वाली अनर्गल या धर्म के नाम पर भ्रम-जंजाल बढ़ाने वाली पुस्तकों का प्रचलन यहाँ भी चल पड़ा तो समझना चाहिए कि ज्ञान-वृद्धि के नाम पर एक दुर्व्यसन का विस्तार हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही होगा। इसलिए इस प्रयोजन के



लिए पुस्तकें चुनी जाएँ, वे अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। अप्रासंगिक साहित्य बिल्कुल भी न रखा जाए। जो शिक्षित महिलाएँ इन्हें लेकर जाएँ वे स्वयं ही पढ़कर अपने कर्तव्य की इति श्री न मानें, वरन् उन्हें अपने परिवार में दूसरों को पढ़ाने या सुनाने का भी प्रयत्न करें। विचार-विस्तार की प्रक्रिया इस पठन-पाठन के साथ भी जुड़ी रहनी चाहिए। यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है, जब शाखा का पुस्तकालय शिक्षिताओं के लिए उपयोगी साहित्य जुटाए और जो पुस्तकें लेकर जाएँ, वे उन्हें स्वयं पढ़ने के साथ-साथ अन्यो को भी पढ़ाने या सुनाने का उत्साह दिखाएँ।

इस संदर्भ में परिवार निर्माण योजना के अंतर्गत एक साहित्य सीरीज प्रकाशित की जा रही है, उसके अंतर्गत सौ पुस्तकें लिखे जाने और छापने की योजना है। इसे महिला पुस्तकालय साहित्य का एक पूरा सैट कहा जा सकेगा। इतनी पुस्तकों में उतनी टोस सामग्री रहेगी कि परिवार निर्माण के हर पक्ष को उतने भर से भली प्रकार समझा और क्रियान्वित किया जा सके। यह साहित्य दो वर्ष में छपेगा, हर वर्ष पचास पुस्तकें दो किस्तों में छपा करेंगी। हर छमाई में पच्चीस। एक छमाही जून में, दूसरी दिसंबर में। वर्ष में ५२ सप्ताह होते हैं। दो सप्ताह होली दिवाली की छुट्टी के रहते हैं। इस प्रकार ५० सप्ताह ही पढ़ने के रहे, पचास सप्ताह में पचास पुस्तकें अर्थात् हर सप्ताह एक। पढ़ने और पढ़ाने की दृष्टि से यह क्रम उपयुक्त भी रहेगा और सरल भी।

महिला विद्यालय का एक नियमित पाठ्यक्रम तो प्रतिदिन चलेगा ही, उसी के अंतर्गत एक विशेष वर्ग यह रह सकता है कि सप्ताह में दो दिन इस महिला साहित्य की कक्षाएँ चलें। एक दिन उसमें लिखे प्रसंगों को किस दृष्टि से पढ़ा और किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए, इस तथ्य को अध्यापक अवगत कराएँ। सप्ताह में जो दूसरा दिन इसी प्रशिक्षण के लिए निर्धारित है, उसमें छात्राओं द्वारा जो पढ़ा गया है, उसे प्रश्नोत्तर के रूप में पूछा जाए, जो गलत या अधूरा समझा गया हो, उसे अध्यापिकाओं द्वारा फिर से समझाया जाए। इस प्रकार हर सप्ताह दो दिन इस प्रशिक्षण क्रम को जारी रखते हुए दो

वर्ष में पूरा किया जाए। सौ पुस्तकें हृदयंगम करने वाली छात्रा से यह आशा की जा सकेगी कि वह इस महान मिशन को अग्रगामी बना सकने की योग्यता से संपन्न हो गई।

इस प्रशिक्षण की वार्षिक परीक्षाएँ भी हुआ करेंगी, जिस प्रकार बी. ए. का, एम. ए. का कोर्स दो वर्ष का होता है। एक वर्ष प्रीवियस दूसरा फायनल, ठीक इसी प्रकार परिवार साहित्य की सौ पुस्तकों की परीक्षा भी पचास-पचास करके दो वर्षों में पूरी होगी। हर वर्ष की परीक्षा के नंबर दूसरी साल में जुड़ा करेंगे और उसी आधार पर उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण होने का क्रम चला करेगा। विचार है कि दो वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर लेने वाली छात्राओं को गृह लक्ष्मी की उपाधि का बहुत ही सुंदर आकर्षक प्रमाण-पत्र दिया जाए। इस तरह ये परीक्षाएँ भी गीता, रामायण, बाइबिल आदि के निमित्त चलने वाली परीक्षाओं की तरह प्रख्यात हो जाएँगी और अपने प्रभाव क्षेत्र में आने वाले हजारों नर-नारियों को प्रभावित करेंगी।

परिवार निर्माण योजना की प्रशिक्षण व्यवस्था गृहिणी को सुगृहिणी और नारी को महिला के साँचे में ढालने की दृष्टि से तैयार की जा रही है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशिक्षित महिलाएँ अपने घर में सुसंस्कृत व्यक्तित्व ढालने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चला सकती हैं। इस तरह की व्यवस्था प्रत्येक शाखा संगठन में चलानी चाहिए। साप्ताहिक सत्संग और महिला विद्यालय के साथ-साथ यह परीक्षा प्रशिक्षण भी सम्मिलित हो जाए तो तीनों सम्मिलित होकर ऐसा संगत समन्वय प्रस्तुत होगा, जिसे तीर्थराज के समतुल्य ही प्रभावशाली एवं श्रेयस्कर कहा जा सके।

इस प्रशिक्षण के द्वारा परिवार में धार्मिकता का, सुसंस्कारिता का वातावरण बनाने में समर्थ व्यक्तित्व वाली महिलाएँ उभरकर आएँगी और वे अपनी योग्यता से पूरे परिवार को लाभान्वित कर सकेंगी।



मुद्रक : युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा (उ. प्र.)

## : युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य- संक्षिप्त परिचय :



ज्यादा जानकारी यहाँ से प्राप्त करें :  
[http://hindi.awgp.org/about\\_us](http://hindi.awgp.org/about_us)

- **विचारक्रान्ति अभियान के प्रणेता** : विचारों को परिस्कृत और ऊँचा उठाने में समर्थ 3000 से भी अधिक पुस्तकों के लेखन के माध्यम से विश्वव्यापी विचार क्रान्ति अभियान की शुरुआत की ।
- **वेद, पुराण, उपनिषद के प्रसिद्ध भाष्यकार** : जिन्होंने चारों वेद, 108 उपनिषद, षड् दर्शन, 20 स्मृतियाँ एवं 18 पुराणों का युगानुकूल भाष्य किया, साथ ही 19 वीं प्रज्ञा पुराण की रचना भी की ।
- **3000 से अधिक पुस्तकों के लेखक** : मनुष्य को देवता समान, घर-परिवार को स्वर्ग, समाज को सभ्य और समग्र विश्वराष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने में समर्थ हजारों पुस्तकें लिखकर समयानुकूल समर्थ मार्गदर्शन प्रदान किया ।
- **युग-निर्माण योजना के सूत्रधार** : जिन्होंने शतसूत्री युग निर्माण योजना बनाकर नये युग की आधार शिला रखी ।
- **वैज्ञानिक-अध्यात्मवाद के प्रणेता** : जिन्होंने धर्म और विज्ञान के समन्वय की प्रथम प्रयोगशाला 'ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान' स्थापित कर सिद्ध किया कि "धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, पुरक है" ।
- **'२१ वीं सदी : उज्ज्वल भविष्य' के उद्घोषक** : जिन्होंने '२१ वीं सदी : उज्ज्वल भविष्य' का नारा दिया तथा युग विभीषिकाओं से भयग्रस्त मनुष्यता को नये युग के आगमन का संदेश दिया ।
- **स्वतंत्रता संग्राम के कर्मठ सेनानी** : जिन्होंने महात्मा गाँधी, मदन मोहन मालवीय, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी "श्रीराम मत्त" के रूप में प्रख्यात हुए ।
- **गायत्री के सिद्ध साधक** : जिन्होंने गायत्री और यज्ञ को रुढियों और पाखण्ड से मुक्त कर जन-जन की उपासना का आधार तथा सदबुद्धि एवं सतकर्म जागरण का माध्यम बनाया ।
- **तपस्वी** : जिन्होंने गायत्री की कठोरतम साधना कर २४-२४ लाख के २४ महापुरश्चरण २४ वर्षों में सम्पन्न किया । प्रकृति प्रकोप को शांत कर अनिष्टों को टाला, सृजन सम्भावनाओं को साकार किया ।
- **अखिल विश्व गायत्री परिवार के जनक** : जिन्होंने अपने जीवनकाल में ही अपने साथ करोड़ों लोगों को आत्मियता के सूत्र में बाँधकर विश्व व्यापी 'युग निर्माण परिवार' - 'गायत्री परिवार' का गठन किया ।
- **समाज सुधारक** : जिन्होंने नारी जागरण, व्यसन मुक्ति, आदर्श विवाह, जाति-पाँति प्रथा तथा परंपरागत रुढियों की समाप्ति हेतु अदभूत प्रयास किए एवं एक आदर्श स्वरूप समाज में प्रस्तुत किया ।
- **ऋषि परम्परा के उद्धारक** : जिन्होंने न इस युग में महान ऋषियों की महान परंपराओं की पुनर्स्थापना की । लुप्तप्राय संस्कार परंपरा को पुनर्जीवित कर जन-जन को अवगत कराया ।
- **अवतारी चेतना** : जिन्होंने "धरती पर स्वर्ग के अवतरण और मनुष्य में देवत्व के जागरण" की अवतारी घोषणा को अपना जीवन लक्ष्य बनाया और चेतना का ऐसा प्रवाह चलाया कि करोड़ों व्यक्ति उस ओर चल पड़े ।

**गायत्री परिवार** जीवन जीने कि कला के, संस्कृति के आदर्श सिद्धांतों के आधार पर परिवार, समाज, राष्ट्र युग निर्माण करने वाले व्यक्तियों का संघ है। **वसुधैवकुटुम्बकम्** की मान्यता के आदर्श का अनुकरण करते हुये हमारी प्राचीन ऋषि परम्परा का विस्तार करने वाला समूह है गायत्री परिवार। एक संत, सुधारक, लेखक, दार्शनिक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और दूरदर्शी युगऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा स्थापित यह मिशन युग के परिवर्तन के लिए एक जन आंदोलन के रूप में उभरा है।

Free Download Complete Work Of Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya, Founder of All World Gayatri Pariwar Books, Magazines, Articles, Stories, Poems, Great Personalities and many more at

[www.vicharkrantibooks.org](http://www.vicharkrantibooks.org) | [www.awgp.org](http://www.awgp.org)